इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]　　भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 जनवरी 2013—पौष 13, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2013

क्र. 40-3-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 1 जनवरी, 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २०१३

सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१२

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उसका निगमन.
४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.
५. अधिकारिता.
६. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.
७. विश्वविद्यालय की शक्तियां और उसके कृत्य.
८. विश्वविद्यालय में अध्यापन.
९. कुलाध्यक्ष.
१०. विश्वविद्यालय का कुलाधिपति.
११. कुलाधिपति की शक्तियां.
१२. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
१३. कुलपति.

१४. प्रति कुलपति.
१५. कुलसचिव.
१६. उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव.
१७. वित्त अधिकारी.
१८. परीक्षा नियंत्रक.
१९. अन्य अधिकारी.
२०. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
२१. साधारण परिषद्.
२२. साधारण परिषद् के सदस्यों की पदावधि.
२३. साधारण परिषद् की शक्तियां.
२४. साधारण परिषद् का सम्मिलन.
२५. कार्य परिषद् का अध्यक्ष तथा सदस्य.
२६. कार्य परिषद्.
२७. कार्य परिषद् की पदावधि.
२८. कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
२९. कार्य परिषद् का सम्मिलन.
३०. स्थायी समितियों का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति.
३१. विद्या परिषद्.
३२. विद्या परिषद् की शक्तियां तथा उसके कर्तव्य.
३३. विद्या परिषद् के सम्मिलन.
३४. वित्त समिति.
३५. चयन समिति.
३६. प्राध्ययन केन्द्र.
३७. परिनियम.
३८. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३९. अध्यादेश.
४०. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.
४१. विनियम.
४२. पुनर्विलोकन समिति की नियुक्ति.
४३. उपदान तथा पेंशन.
४४. विश्वविद्यालय की निधि.
४५. वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा.
४६. वित्तीय प्राक्कलन.
४७. वार्षिक रिपोर्ट.
४८. संविदाओं का निष्पादन.
४९. उपाधि, उपाधिपत्र, प्रमाण पत्र आदि का प्रदान किया जाना.
५०. सम्मानिक उपाधियां.
५१. उपाधि, उपाधिपत्र या प्रमाण-पत्र का प्रत्याहरण.
५२. सम्पत्ति का अन्तरण.
५३. रिक्तियों आदि के कारण प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी.
५४. प्रारंभ पर कठिनाईयों का दूर किया जाना.
५५. अस्थायी उपबन्ध.
५६. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिये विशेष उपबंध.
५७. संरक्षण.
५८. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.
५९. असंबद्ध विश्वविद्यालय.
६०. परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति.
६१. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २०१२

सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१२

[दिनांक 1 जनवरी, 2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 3 जनवरी, 2013 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

भारत में तथा विदेशों में अन्य भारतीय पद्धतियों के साथ-साथ बौद्ध धर्म के समस्त पहलुओं का अध्ययन एवं शोध को प्रौन्नत करने और भारतीय ज्ञान एवं संस्कृति के समन्वयकारी स्वरूप को प्रोन्नत करने और अन्य सभी संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए और उससे संसक्त तथा आनुषंगिक मामलों के लिए मध्यप्रदेश राज्य में सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय की स्थापना तथा निगमन का उपबंध करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१२ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''विद्या परिषद् '' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;

(ख) ''कुलाधिपति'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;

(ग) ''कार्य परिषद्'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्;

(घ) ''साधारण परिषद्'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की साधारण परिषद्;

(ङ) ''प्रति कुलपति'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति;

(च) ''कुलसचिव'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलसचिव;

(छ) ''परिनियम'', ''अध्यादेश'' तथा ''विनियम'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम;

(ज) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन स्थापित किया गया सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय;

(झ) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) की धारा ४ के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(ञ) ''कुलपति'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलपति.

(ट) ''कुलाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष.

विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उसका निगमन.

३. (१) मध्यप्रदेश राज्य में ''सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय'' के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा.

(२) विश्वविद्यालय का मुख्यालय सांची, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश में होगा.

(३) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, चल तथा अचल दोनों सम्पत्ति अर्जित करने और धारित करने, उसके द्वारा धारित किसी सम्पत्ति का अंतरण करने और संविदा करने और इसके गठन के प्रयोजनों के लिए समस्त अन्य आवश्यक कृत्य करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा.

(४) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वादों और कार्यवाहियों में अभिवचन, कुलसचिव या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किए जाएंगे और ऐसे वादों तथा ऐसी कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं, कुलसचिव को जारी की जाएंगी और उस पर तामील की जाएंगी.

विश्वविद्यालय के उद्देश्य.

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य, बौद्ध-भारतीय ज्ञान, जिसमें धम्म के सिद्धांत, भारतीय संस्कृति के आधारभूत सिद्धांत तथा विचारों के अंत:परागण को सुकर बनाने तथा विश्व की विभिन्न सभ्यताओं के बीच समन्वय सम्मिलित हैं, में अध्ययन तथा शोध को प्रोन्नत करना है. इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय,—

(एक) बौद्ध शिक्षण, समसामयिक दर्शन, परम्पराओं में शिक्षा प्रदान करेगा तथा प्रयोग करेगा;

(दो) धर्म, दर्शन तथा संस्कृति जैसे क्षेत्रों में ज्ञान के सशक्त ऐतिहासिक समानताओं द्वारा आबद्ध एशिया के देशों के बीच पारस्परिक संव्यवहार को प्रोन्नत करेगा;

(तीन) एशिया की संस्कृति और सभ्यता को साथ लाकर विश्व शांति और सौहार्द की प्रोन्नति में योगदान;

(चार) शिक्षा की वैकल्पिक पद्धतियों के नए परिपेक्ष्य उपलब्ध कराकर भारत की शिक्षा प्रणाली के सुधार में योगदान;

(पांच) एशिया की सुसंगत कला, शिल्प और कौशल में शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना;

(छह) उपरोक्त की प्राप्ति के लिए एशिया तथा विश्व के विद्वानों तथा एकेडमिशियन के बीच भागीदारी तैयार करना.

अधिकारिता.

५. (१) विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा:

परन्तु राज्य सरकार विश्वविद्यालय को, उसके अध्यापन या गवेषणा संबंधी क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप को अंशत: या पूर्णत: चलाने के लिये मध्यप्रदेश राज्य से बाहर या विदेश में की किसी संस्था के साथ सहयोग के लिये अनुमति दे सकेगी.

(२) विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश सरकार, भारत सरकार और अन्य स्रोतों से सहायता ले सकेगा.

विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.

६. विश्वविद्यालय, भारत के किसी नागरिक के विरुद्ध इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने या उस पर अधिरोपित कृत्यों का पालन करने में धर्म, वंश, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म-स्थान, राजनैतिक या अन्य अभिमत के आधार पर या उनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा.

विश्वविद्यालय की शक्तियां और उसके कृत्य.

७. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य निम्नानुसार होंगे:—

(एक) उद्देश्यों में दिए गए अनुसार सारवान तथा सर्वसमावेशी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान उपलब्ध करना, विकसित करना तथा प्रोन्नत करना तथा ऐसी शिक्षा की प्राप्ति के लिए सामर्थ्यकारी तथा प्रेरक वातावरण सृजित करना;

(दो) नूतन विषय पाठ्यक्रम तैयार करने तथा उनके अध्ययन का तथा अध्यापन और अध्ययन के प्रभावी तरीकों का प्रबंध करना;

(तीन) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों को अग्रसर करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारों का सहयोग स्थापित करना;

(चार) परामर्शी सेवाएं, सतत् शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के माध्यमों से संसाधन विकसित करना;

(पांच) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधि, उपाधिपत्र या प्रमाण-पत्र के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम हेतु अर्हताएं विहित करना और विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश को विनियमित करना;

(छह) एक पुस्तकालय की स्थापना एवं विकास करना तथा भौतिक एवं डिजिटल स्वरूप में साहित्य को परिलक्षित करना;

(सात) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षाएं आयोजित करना तथा व्यक्तियों को उपाधिपत्र या प्रमाण-पत्र देना और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना और ऐसे किन्हीं उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का उचित तथा पर्याप्त कारणों से प्रत्याहरण करना;

(आठ) परिनियमों में अधिकथित रीति में सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(नौ) फीस तथा अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना और प्राप्त करना;

(दस) छात्रावास एवं निवास कक्ष (हाल) स्थापित करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंधित नहीं किए जा रहे छात्र निवासों तथा अन्य स्थानों को मान्यता प्रदान करना तथा उनका नियंत्रण तथा ऐसे किसी निवास स्थान को दी गई ऐसी मान्यता का प्रत्याहरण करना;

(ग्यारह) आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य एवं व्याख्याता के पदों और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित कोई अन्य अध्यापन, विद्या संबंधी या गवेषणा पदों को संस्थित करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(बारह) तकनीकी, प्रशासनिक, लिपिकीय तथा अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के छात्रों तथा कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित करना तथा उसका पालन करवाना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना, जो आवश्यक समझे जाएं;

(चौदह) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार तथा पदक संस्थित करना तथा प्रदान करना;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय की किन्हीं कक्षाओं या विभागों को समाप्त करना या उनका चलाना बंद करना;

(सोलह) ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन पर परस्पर सहमति हो, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जो कि विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें, बौद्ध धर्म की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा गवेषणा और सहायक विषयों के संबंध में किसी अन्य संगठन के साथ सहयोग करना;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के व्ययों का विनियमन करना तथा उसके लेखाओं का प्रबंध करना;

(अठारह) ऐसे अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान तथा दान प्राप्त करना, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये हों तथा जो उन उद्देश्यों से संगत हों, जिनके लिये विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है;

(उन्नीस) कोई ऐसी भूमि या भवन या संकर्म, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये आवश्यक या सुविधाजनक हो, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो कि विश्वविद्यालय ठीक तथा उचित समझे, क्रय करना, पट्टे पर प्राप्त करना या दान के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या संकर्म का सन्निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना और उसे बनाए रखना;

(बीस) विश्वविद्यालय की जंगम या स्थावर समस्त सम्पत्तियों या उनके किसी भाग का, ऐसे निबंधनों पर, जो वह ठीक तथा उचित समझे, तथा जो विश्वविद्यालय के हित तथा कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, विक्रय करना या उनका अन्यथा व्ययन करना;

(इक्कीस) राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय की स्थावर सम्पत्तियों या उनके किसी भाग का, विश्वविद्यालय के हितों तथा कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निबंधनों पर, जो वह ठीक तथा उचित समझे, विक्रय करना, या उनका अन्यथा व्ययन करना;

(बाईस) वचन-पत्रों (प्रामिसरी नोट), विनिमय-पत्रों, चैकों या अन्य परक्राम्य लिखतों का परक्रामण (नैगोशिएट) करना;

(तेईस) जंगम या स्थावर सम्पत्ति के संबंध में, जिसमें विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये अपेक्षित सरकारी प्रतिभूतियां (गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज) सम्मिलित हैं, हस्तांतरण पत्र, अन्तरण, पुनर्हस्तांतरण पत्र, बंधक, पट्टे तथा करार निष्पादित करना;

(चौबीस) विश्वविद्यालय की ओर से कोई लिखत निष्पादित करने या उसका कोई कामकाज करने या उपर्युक्त खण्ड (अठारह), (उन्नीस), (बीस) तथा (इक्कीस) के अधीन विश्वविद्यालय के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उचित समझे, नियुक्त करना;

(पच्चीस) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकारियों के साथ अनुदान प्राप्त करने के लिये कोई करार करना;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय की समस्त या किन्हीं भी सम्पत्तियों या आस्तियों के आधार पर या उन पर आधारित बन्ध-पत्रों, बन्धकों, वचन-पत्रों या अन्य बाध्यताओं अथवा प्रतिभूतियों पर या किन्हीं प्रतिभूतियों के बिना ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जैसे कि वह उचित समझे, धन प्राप्त करना तथा उधार लेना और धन प्राप्त करने से आनुषंगिक समस्त व्ययों का भुगतान विश्वविद्यालय की निधियों में से करना और उधार लिये गये किसी धन का प्रतिदाय तथा मोचन करना;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय की निधियां या विश्वविद्यालय को सौंपी गई निधि, ऐसी प्रतिभूतियों में या पर तथा ऐसी रीति में, जो वह उचित समझे, विनिहित करना और किसी विनिधान का, समय-समय पर, अंतर्विनिमय (ट्रान्सपोज) करना;

(अट्ठाईस) ऐसे विनियम बनाना, जो समय-समय पर, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों तथा प्रबंध का विनियमन करने के लिये आवश्यक समझे जाएं और उनमें परिवर्तन करना, उपांतरण करना तथा उन्हें विखण्डित करना;

(उन्तीस) विद्या संबंधी, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिये, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, पेंशन, बीमा और उपदान जैसा कि वह उचित समझें, निधि गठित करना और विश्वविद्यालय के किन्हीं कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिये ऐसा अनुदान देना, जैसा कि वह उचित समझे और ऐसी संथाओं, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और कन्वेयंस के स्थापित किये जाने में सहायता करना और उनका समर्थन करना, जो कि विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द तथा छात्रों के फायदे के लिये आशयित हों;

(तीस) समस्त ऐसे अन्य कार्य तथा बातें करना, जो विश्वविद्यालय अपने समस्त या उनमें से किसी उद्देश्य को प्राप्त करने या उनमें अभिवृद्धि करने के लिये आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे.

विश्वविद्यालय में अध्यापन.

८. (१) विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधिपत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के संबंध में समस्त मान्यताप्राप्त अध्यापन, साधारण परिषद् के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा, ऐसे पाठ्य-विवरण के अनुसार संचालित किया जाएगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(२) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या और ऐसा अध्यापन आयोजित करने के लिये उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे, जैसे कि विनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

स्पष्टीकरण.—उपधारा (१) में, ''अध्यापक'' से अभिप्रेत है, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विद्या परिषद् साथ-साथ कार्य परिषद् के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय या संस्था में, शिक्षण के लिये और गवेषणा कार्य का संचालन करने के लिये नियुक्त किए गए हों.

विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष.

९. (१) मध्यप्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा.

(२) कुलाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे कि वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों का, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी महाविद्यालय तथा किसी संस्था की प्रयोगशालाओं तथा उपकरणों का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन तथा किए गए अन्य कार्यों का निरीक्षण करवाए और उसी रीति में, विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले के संबंध में जांच करवाएं.

(३) कुलाध्यक्ष, प्रत्येक मामले में ऐसा निरीक्षण या जांच कराए जाने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा और विश्वविद्यालय इस हेतु हकदार होगा कि वह एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करे, जिसे यह अधिकार होगा कि वह ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित रहे तथा उसकी सुनवाई की जाए.

(४) कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण और ऐसी जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकेगा और कुलपति, कुलाध्यक्ष के विचार और उसके साथ उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में कुलाध्यक्ष द्वारा दी गई सलाह, कार्य परिषद् को संसूचित करेगा.

(५) कार्य परिषद्, कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो उसके द्वारा ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में की जाना प्रस्तावित है या जो की गई है, संसूचित करेगी.

(६) जहां कार्य परिषद् युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप से कार्रवाई नहीं करती है, तो कुलाध्यक्ष, कार्यपरिषद् द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जैसे कि वह उचित समझे, और कार्यपरिषद् ऐसे निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी.

(७) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष, लिखित में आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को, जो इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों से संगत न हों, वातिल कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व, वह विश्वविद्यालय से यह कारण बताने को कह सकेगा कि ऐसा आदेश क्यों न कर दिया जाए, और यदि युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कारण दर्शाया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा.

विश्वविद्यालय का कुलाधिपति.

१०. (१) साधारण परिषद्, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विद्वान हो, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त करेगी :

परंतु विद्यमान कुलाधिपति साधारण परिषद् के ऐसे सम्मिलन में उपस्थित नहीं होगा जिसमें अगले कुलाधिपति की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा हो.

(२) कुलाधिपति, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा :

परन्तु कुलाधिपति, उसकी पदावधि के अवसान के होते हुए भी, उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक पद पर बना रहेगा.

(३) यदि कुलाधिपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके पद के कृत्यों का पालन जब तक कि रिक्त पद पर उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो जाती है, कुलपति द्वारा किया जाएगा.

कुलाधिपति की शक्तियां.

११. (१) कुलाधिपति, उसके पद के कारण, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा.

(२) कुलाधिपति, यदि उपस्थित है, उपाधियां प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा.

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

१२. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलाधिपति;

(दो) कुलपति;

(तीन) प्रति कुलपति;

(चार) कुलसचिव;

(पांच) उप कुलसचिव;

(छह) सहायक कुलसचिव;

(सात) वित्त अधिकारी;

(आठ) परीक्षा नियंत्रक, और

(नौ) ऐसे अन्य अधिकारी, जैसे कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में घोषित किए जाएं.

कुलपति.

१३. (१) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी परिलब्धियों और अन्य सेवा शर्तों पर, जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए, साधारण परिषद् द्वारा अनुशंसा किए गए कम से कम तीन व्यक्तियों के पैनल में से की जाएगी:

परंतु जब साधारण परिषद् कुलपति के पद के लिये कुलाध्यक्ष द्वारा अनुशंसा किए गए नामों पर पैनल के लिए विचार करती है, तब पीठासीन कुलपति बैठक में उपस्थित नहीं रहेगा और संस्कृति विभाग का भारसाधक सचिव साधारण परिषद् के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा:

परंतु यह और कि प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार की अनुशंसा पर की जाएगी.

(२) कुलपति, चार वर्षों की अवधि के लिये पद धारण करेगा तथा दो से अधिक पदावधि के लिये नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पद धारण नहीं करेगा :

परंतु यह और कि उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के बाद भी वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता किन्तु ऐसी कालावधि किसी भी दशा में छह मास से अधिक नहीं होगी.

(३) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक, कार्यकारी अधिकारी होगा तथा विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा तथा विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी बनाएगा.

(४) कुलपति, यदि उसकी राय में किसी मामले में तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और उसके द्वारा ऐसे मामले पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारी को देगा :

परंतु संबंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा. जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परंतु यह और कि विश्वविद्यालय सेवा के किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई पर विनिश्चय उसे संसूचित किए जाने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर साधारण परिषद् को अभ्यावेदन देने का अधिकारी होगा और उस पर साधारण परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगी, उपांतरण कर सकेगी या उसे पलट सकेगी.

(५) यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों, या अध्यादेश के उपबंधों द्वारा प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों से परे है या किया गया कोई निर्णय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी से ऐसे निर्णय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिये कह सकेगा और यदि प्राधिकारी अपने विनिश्चय का या तो पूर्णतः या अंशतः पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है और उक्त साठ दिन की कालावधि के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो मामला कुलपति द्वारा कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

(६) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं.

प्रति कुलपति.

१४. (१) कुलपति, एक संकायाध्यक्ष को प्रति कुलपति के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा जो कुलपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण कर सकेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएं.

(२) प्रति कुलपति की पदावधि कुलपति की पदावधि के साथ सह विस्तारी होगी.

कुलसचिव.

१५. (१) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा. कुलसचिव की पदावधि तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं.

(२) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करने तथा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी.

(३) कुलसचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

(४) कुलसचिव कार्यपरिषद् का सदस्य-सचिव होगा.

उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव.

१६. (१) उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाएंगे. उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव की पदावधि तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं.

(२) उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

वित्त अधिकारी. १७. वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा. वित्त अधिकारी की पदावधि तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं.

परीक्षा नियंत्रक. १८. परीक्षा नियंत्रक ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधनों तथा सेवा की शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

अन्य अधिकारी. १९. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, परिलब्धियां, शक्तियां तथा कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी. २०. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :—

(एक) साधारण परिषद्;

(दो) कार्य परिषद्;

(तीन) विद्या परिषद्;

(चार) वित्त समिति, और

(पांच) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

साधारण परिषद्. २१. विश्वविद्यालय की एक साधारण परिषद् होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

क-पदेन सदस्य

(एक)	मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री	—	अध्यक्ष
(दो)	कुलाधिपति	—	उपाध्यक्ष
(तीन)	मध्यप्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग का भारसाधक मंत्री;	—	सदस्य
(चार)	मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री	—	सदस्य
(पांच)	मध्यप्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग का भारसाधक सचिव	—	सदस्य
(छह)	मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का भारसाधक सचिव	—	सदस्य
(सात)	मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग का भारसाधक सचिव	—	सदस्य
(आठ)	केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ का निदेशक/कुलपति	—	सदस्य
(नौ)	कुलपति	—	सदस्य-सचिव

ख -नामनिर्दिष्ट सदस्य

(दस)	बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् के क्षेत्र से राज्य सरकार के परामर्श से कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विद्वान	—	सदस्य
(ग्यारह)	कला, विज्ञान, साहित्य तथा लोकजीवन के क्षेत्र से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट छह विशिष्ट व्यक्ति	—	सदस्य
(बारह)	मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य	—	सदस्य

साधारण परिषद् के सदस्यों की पदावधि.

२२. (१) साधारण परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष होगी तथा विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार अवधि को एक वर्ष के लिये बढ़ा सकेगी.

(२) जहां साधारण परिषद् का कोई सदस्य उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण साधारण परिषद् का ऐसा सदस्य हो जाता है या वह नामनिर्दिष्ट सदस्य है, वहां उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी, जबकि यथास्थिति, उसका ऐसा पद धारण करना या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए या उसका नामनिर्देशन वापस ले लिया जाए या रद्द कर दिया जाए.

(३) साधारण परिषद् का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह पद त्याग देता है या विकृतचित्त या दिवालिया हो जाता है या वह नैतिक अधमता अन्तर्वलित होने वाले किसी दाण्डिक अपराध के लिये सिद्धदोष ठहरा दिया जाता है, या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह साधारण परिषद् के लगातार तीन सम्मिलनों में अध्यक्ष की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है या विश्वविद्यालय के हितों के विरुद्ध कार्य करता है.

(४) साधारण परिषद् का कोई सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र, जैसे ही अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, प्रभावी हो जाएगा.

(५) साधारण परिषद् में कोई रिक्ति, उसे भरने के लिये हकदार संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति केवल उस समय तक पद धारण करेगा, जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है यदि रिक्ति नहीं हुई होती तो पद धारण करता.

साधारण परिषद् की शक्तियां.

२३. साधारण परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(एक) धारा ७ में अधिकथित विश्वविद्यालय की शक्तियों तथा कृत्यों का, सिवाय ऐसी शक्तियों के, जो विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को दी गई हैं, प्रयोग करना;

(दो) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों तथा कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिये उपाय करना;

(तीन) वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलन, वार्षिक लेखे और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना, जैसा कि ठीक समझा जाए;

(चार) विश्वविद्यालय के कुलपति या विश्वविद्यालय की किसी समिति या उसकी उप-समिति या उसके किसी एक या अधिक सदस्यों या किसी कर्मचारी को अपनी समस्त शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति प्रत्यायोजित करना;

(पांच) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो विश्वविद्यालय के दक्ष कार्यकरण तथा प्रशासन के लिये वह आवश्यक समझे; और

(छह) साधारण परिषद् तथा विद्या परिषद् के किसी विनिश्चय, कृत्य अथवा संकल्प को अनुमोदित करना, उसका पुनरावलोकन करना अथवा उसे रद्द करना.

साधारण परिषद् का सम्मिलन.

२४. (१) साधारण परिषद् का वर्ष में कम से कम एक सम्मिलन होगा और उसके सम्मिलनों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी.

(२) अध्यक्ष, सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में कुलाधिपति सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा.

(३) साधारण परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से सम्मिलन की गणपूर्ति होगी.

(४) प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि साधारण परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हैं तो अध्यक्ष या सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का, उसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत होगा.

(५) यदि साधारण परिषद् द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाना आवश्यक हो जाएं, तो अध्यक्ष, साधारण परिषद् के सदस्यों में कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा और की जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि साधारण परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसकी सहमति नहीं दे दी जाती है और इस प्रकार की गई कार्रवाई की सूचना साधारण परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरन्त दी जाएगी और कागज-पत्र, साधारण परिषद् के आगामी सम्मिलन के समक्ष उसकी पुष्टि के लिये रखे जाएंगे.

(६) पिछले वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की एक रिपोर्ट और उसके साथ प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण, सम्यक्रूप से संपरीक्षित तुलन-पत्र और वित्तीय प्राक्कलन, कुलपति द्वारा साधारण परिषद् के समक्ष उसके वार्षिक सम्मिलन में रखे जाएंगे.

कार्य परिषद् का अध्यक्ष तथा सदस्य.

२५. (१) विश्वविद्यालय में एक कार्य परिषद् होगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(एक)	कुलपति;	—	अध्यक्ष
(दो)	साधारण परिषद् के तीन सदस्य, जो साधारण परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;	—	सदस्य
(तीन)	संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन का भारसाधक सचिव अथवा उसका नामनिर्देशिती, जो उपसचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो;	—	सदस्य
(चार)	वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन का भारसाधक सचिव अथवा उसका नामनिर्देशिती, जो उपसचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो;	—	सदस्य
(पांच)	उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का भारसाधक सचिव अथवा उसका नामनिर्देशिती, जो उपसचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो;	—	सदस्य
(छह)	चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता के आधार पर विश्वविद्यालय का एक आचार्य;	—	सदस्य
(सात)	चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता के आधार पर विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों में से एक संकायाध्यक्ष.	—	सदस्य

(२) कुल सचिव, कार्यपरिषद् का सचिव होगा.

(३) कार्यपरिषद् की पदावधि तीन वर्ष की होगी और सदस्यों की पदावधि कार्यपरिषद् की पदावधि के समान होगी.

कार्य परिषद्.

२६. (१) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी निकाय होगी.

(२) विश्वविद्यालय का प्रशासन, प्रबंध तथा नियंत्रण और उसकी आय, कार्य-परिषद् में निहित होगी जो विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को नियंत्रित और प्रशासित करेगी.

कार्य परिषद् की पदावधि.

२७. (१) जहां कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण कार्य परिषद् का सदस्य हो जाता है वहां उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी, जबकि उसका ऐसा पद धारण करना या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए.

(२) कार्य परिषद् का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह पद त्याग देता है या विकृतचित्त या दिवालिया हो जाता है या वह नैतिक अधमता अन्तर्वलित होने वाले किसी दाण्डिक अपराध के लिये सिद्धदोष ठहरा दिया जाता है या यदि कुलपति या संकाय के किसी सदस्य से भिन्न कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह कार्य परिषद् के लगातार तीन सम्मिलनों में, कार्य परिषद् के अध्यक्ष की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है या विश्वविद्यालय के हितों के विरुद्ध कार्य करता है.

(३) जब तक कि कार्य परिषद् की उनकी सदस्यता उपधारा (१) या (२) में उपबंधित किए गए अनुसार पूर्व में ही समाप्त नहीं हो जाती है, कार्य परिषद् के सदस्य उस तारीख से, जिसको कि वे कार्य परिषद् के सदस्य हो जाते हैं, पांच वर्ष समाप्त हो जाने पर अपनी सदस्यता त्याग देंगे.

(४) कार्य परिषद् के पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद् का कोई सदस्य, कार्य परिषद् के अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र, जैसे ही कार्य परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, प्रभावी हो जाएगा.

(५) कार्य परिषद् में कोई रिक्ति उसे भरने के लिए हकदार संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति की कालावधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नामनिर्देशन प्रभावी नहीं रह जाएगा.

कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.

२८. धारा २३ के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्य परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे :—

(एक) विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों को सृजित करना, समाप्त करना या वर्गीकृत करना और उनसे संलग्न अर्हताएं, परिलब्धियां तथा कर्तव्य अवधारित करना :

परन्तु अध्यापन पद राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से सृजित किए जा सकेंगे;

(दो) समय-समय पर पुस्तकालयाध्यक्ष, आचार्य और अध्यापन कर्मचारिवृन्द के अन्य सदस्य, जैसा कि आवश्यक हो, विनियमों द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित की गई चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त करना :

परन्तु—

(क) किसी अधिसंख्य पद (सुपरन्यूमेरेरी पोस्ट) पर; या

(ख) उच्च विद्या संबंधी विशिष्टता, विख्यात तथा कुशलता प्राप्त व्यक्ति की आचार्य के पद पर,

नियुक्ति करने के लिये कोई चयन समिति गठित करना आवश्यक नहीं होगा;

(तीन) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय तथा अन्य आवश्यक पद सृजित करना, और ऐसे पदों की न्यूनतम अर्हताएं तथा उनकी परिलब्धियां अवधारित करना;

(चार) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज और अन्य समस्त प्रशासनिक कार्यकलापों की व्यवस्था करना और विनियमित करना और उस प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जैसा कि वह उचित समझे;

(पांच) विश्वविद्यालय की ओर से, साधारण परिषद् के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, किसी जंगम संपत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण प्रतिगृहीत करना;

(छह) विश्वविद्यालय की ओर से, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण प्रतिगृहीत करना;

(सात) विश्वविद्यालय की ओर से, संविदाएं करना, उनमें फेरफार करना, उनका कार्यान्वयन करना और उन्हें रद्द करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारी नियुक्त करना, जैसे कि वह उचित समझे;

(आठ) विश्वविद्यालय का कार्य क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर तथा उपकरण और अन्य साधनों की व्यवस्था करना.

कार्य परिषद् का सम्मिलन.

२९. (१) कार्य परिषद् का सम्मिलन चार मास में कम से कम एक बार होगा.

(२) कार्य परिषद् का अध्यक्ष कार्य परिषद् के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये अपने में से एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे.

(३) कार्य परिषद् के कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(४) कार्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि कार्य परिषद् द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हैं, तो यथास्थिति, कार्य परिषद् के अध्यक्ष का या उस सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का उसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत होगा.

(५) यदि कार्य परिषद् द्वारा अत्यावश्यक कार्रवाई आवश्यक हो, तो कुलपति कार्य परिषद् के सदस्यों में कागज-पत्र के प्रचालन द्वारा कारबार का संव्यवहार किये जाने की अनुमति दे सकेगा तथा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई उस समय तक नहीं की जाएगी जब तक कार्य परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसे सहमति न दी जाए तथा इस प्रकार की गई कार्रवाई की सूचना कार्य परिषद् के सभी सदस्यों को तत्काल दी जाएगी और कागज-पत्र कार्य परिषद् की आगामी बैठक के समक्ष पुष्टिकरण के लिये रखे जाएंगे.

स्थायी समितियों का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति.

३० (१) इस अधिनियम के और इस संबंध में बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कार्य परिषद् संकल्प द्वारा ऐसी स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां, ऐसे प्रयोजनों के लिये तथा ऐसी शक्तियों सहित, जैसा कार्य परिषद् उचित समझे, विश्वविद्यालय की किसी शक्ति का प्रयोग करने या विश्वविद्यालय के किसी कृत्य का निर्वहन करने या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले में जांच करने, उस पर रिपोर्ट देने या सलाह देने के लिये गठित या नियुक्त कर सकेगी.

(२) कार्य परिषद् अन्य ऐसी समितियों या उप समितियों का गठन कर सकेगी या उनकी नियुक्ति कर सकेगी, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(३) कार्य परिषद् किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति के लिये ऐसे व्यक्ति सहयोजित कर सकेगी, जैसा कि वह उपयुक्त समझे और उन्हें कार्य परिषद् के सम्मिलनों में उपस्थित रहने के लिये अनुज्ञात कर सकेगी.

३१. (१) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी निकाय होगी और इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उसे विश्वविद्यालय के शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा मानकों पर नियंत्रण रखने तथा सामान्य विनियमन करने की शक्ति होगी और वह इन मानकों को बनाए रखने के लिये भी उत्तरदायी होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, जो उसे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं और उसे यह अधिकार होगा कि वह विद्या संबंधी समस्त मामलों पर साधारण परिषद् को सलाह दे. **विद्या परिषद्.**

(२) विद्या परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ, जो अन्य विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे हों;

(तीन) समस्त संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष तथा कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो आचार्य; और

(चार) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापन कर्मचारिवृन्द का एक सदस्य, जो विश्वविद्यालय के सह आचार्य तथा सहायक आचार्य का प्रतिनिधित्व करता हो :

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी उपरोक्त खण्ड (दो) के अधीन नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा.

(३) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी :

परन्तु प्रथम विद्या परिषद् की कालावधि पांच वर्ष होगी, किन्तु द्वितीय और तृतीय विद्या परिषद् की कालावधि तीन वर्ष होगी.

(४) कुल सचिव, विद्या परिषद् का सचिव होगा.

३२. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को उसमें विनिहित की गई अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:— **विद्या परिषद् की शक्तियां तथा उसके कर्तव्य.**

(एक) ऐसे किसी विषय पर, जो साधारण परिषद् या कार्य परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किया जाए, रिपोर्ट करना;

(दो) विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों के सृजन, समाप्ति या वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध अर्हताओं, परिलब्धियों तथा कर्तव्यों के संबंध में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;

(तीन) संकायों के गठन के लिये स्कीमें बनाना तथा उनको उपान्तरित करना या पुनरीक्षित करना और ऐसे संकायों को उनके संबंधित विषय सौंपना और किसी संकाय को समाप्त या उपविभाजित करने या एक संकाय को दूसरे संकाय के साथ संयोजित करने की समीचीनता के संबंध में भी कार्य परिषद् को रिपोर्ट करना;

(चार) विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के शिक्षण तथा परीक्षा के लिये विनियमों के माध्यम से व्यवस्था करना;

(पांच) विश्वविद्यालय के भीतर गवेषणा को प्रोन्नत करना और ऐसी गवेषणा पर, समय-समय पर, रिपोर्ट दिये जाने की अपेक्षा करना;

(छह) संकायों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों पर विचार करना;

(सात) विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु समितियां नियुक्त करना;

(आठ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के उपाधिपत्रों तथा उपाधियों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय के उपाधिपत्रों तथा उपाधियों के संबंध में उनकी समतुल्यता अवधारित करना;

(नौ) साधारण परिषद् द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति तथा अन्य पुरस्कारों के लिये प्रतियोगिताओं का समय, ढंग तथा शर्तें नियत करना तथा उन्हें प्रदान करना;

(दस) परीक्षकों की नियुक्ति तथा यदि आवश्यक हो तो उनके हटाए जाने और उनकी फीस, परिलब्धियां तथा यात्रा और अन्य व्यय नियत करने के बारे में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;

(ग्यारह) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिये समितियां या अधिकारी नियुक्त करना और उपाधियों, सम्मानों, उपाधिपत्रों, पदवी (टाईटल्स) और सम्मान के प्रतीकों को प्रदान किये जाने के संबंध में सिफारिशें करना;

(बारह) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक तथा पुरस्कार देना और अन्य अवार्ड (पुरस्कार) अध्यादेशों या ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार देना, जो ऐसे अवार्ड (पुरस्कार) से संबद्ध की जाएं;

(तेरह) विहित की गई या सिफारिश की गई पाठ्य-पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और विहित किए गये अध्ययन पाठ्यक्रमों का पाठ्य-विवरण प्रकाशित करना;

(चौदह) ऐसे प्ररूप तथा रजिस्टर तैयार करना जो विनियमों द्वारा, समय-समय पर, विहित किए जाएं;

(पन्द्रह) विद्या संबंधी मामलों के संबंध में समस्त ऐसे कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबन्धों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों, और

(सोलह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो कि इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त किये जाएं अथवा उस पर अधिरोपित किए जाएं.

विद्या परिषद् के सम्मिलन.

३३. (१) विद्या परिषद् उतनी बार, जितनी कि आवश्यक है, सम्मिलन करेगी किन्तु किसी एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान कम से कम दो बार सम्मिलन करेगी.

(२) विद्या परिषद् का अध्यक्ष (चेयरमेन) विद्या परिषद् के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे.

(३) विद्या परिषद् के सम्मिलन के लिये विद्या परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(४) विद्या परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, एक मत देने का अधिकार होगा और यदि विद्या परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हैं तो विद्या परिषद् के अध्यक्ष को या यथास्थिति, सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को, उसके अतिरिक्त, एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा.

(५) यदि विद्या परिषद् द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाना आवश्यक हो जाता है तो कुलपति, विद्या परिषद् के सदस्यों में कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा और की जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि इस पर विद्या परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति नहीं दे दी जाती है और इस प्रकार की गई कार्रवाई की संसूचना विद्या परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरन्त दी जाएगी और संबंधित कागज-पत्र विद्या परिषद् के आगामी सम्मिलन में उसकी पुष्टि के लिये रखे जाएंगे.

३४. (१) एक वित्त समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:— **वित्त समिति.**

(एक) कुलपति;

(दो) तीन सदस्य, जो कार्य परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(तीन) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के एक-एक अधिकारी (जो उपसचिव की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के न हों) जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(चार) विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी सदस्य-सचिव होगा.

(२) वित्त समिति की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का परीक्षण और उसकी संवीक्षा करना और वित्तीय मामलों में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;

(दो) नवीन व्ययों के लिये समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद् को सिफारिश करना;

(तीन) लेखाओं के नियतकालिक विवरणों पर विचार करना और विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का, समय-समय पर, पुनर्विलोकन करना और पुनर्विनियोजन विवरणों तथा संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और कार्य परिषद् को सिफारिश करना;

(चार) विश्वविद्यालय पर प्रभाव डालने वाले किसी वित्तीय विषय पर या तो स्वप्रेरणा से या कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा निर्देश किया जाने पर अपने विचार प्रस्तुत करना और कार्य परिषद् को सिफारिशें करना.

(३) वित्त समिति छह मास में कम से कम एक बार अपना सम्मिलन करेगी और वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(४) कुलपति, वित्त समिति के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये निर्वाचित करेंगे.

३५. (१) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय में आचार्यों, सह आचार्यों तथा अन्य अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति करने के लिए कार्य परिषद् को सिफारिशें करने हेतु एक चयन समिति गठित करेगी. **चयन समिति.**

(२) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे,—

(एक) कुलपति जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(दो) विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तुत पांच विषय विशेषज्ञों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विषय विशेषज्ञ, जो किसी भी रीति में विश्वविद्यालय से संबद्ध न हों :

परन्तु तीन विशेषज्ञों में से कम से कम एक अनुसूचित जातियों का, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्गों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा. इन प्रवर्गों में से किसी विशेषज्ञ के उपलब्ध न होने की दशा में, आयुक्त से अनिम्न पद श्रेणी का एक प्रशासनिक अधिकारी, जो आरक्षित प्रवर्गों में से हो, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा :

(तीन) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई तीन सदस्य.

(३) चयन समिति का सम्मिलन, जब कभी आवश्यक हो, कुलपति द्वारा बुलाया जाएगा और तीन सदस्यों से इसकी गणपूर्ति होगी.

(४) कुलपति को, कार्य परिषद् की अनुशंसा पर, विश्वविद्यालय में विद्वानों और विषय विशेषज्ञों को विशेष सेवाशर्तों पर नियुक्त करने की शक्ति होगी, जिससे कि उन्हें शिक्षण के प्रति आकर्षित किया जा सके.

(५) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार, विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, अध्यापकों को निश्चित कालावधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियोजित कर सकेगी.

प्राध्ययन केन्द्र. ३६. (१) उतनी संख्या में, विद्या की शाखाएं, केन्द्र और विभाग होंगे जितने कि साधारण परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं.

(२) पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विश्वविद्यालय में निम्नलिखित प्राध्ययन केन्द्र होंगे जो उतने चरणों में स्थापित किए जाएंगे जितने कि साधारण परिषद् विनिश्चिय करे :—

(एक) बौद्ध दर्शन शाखा;

(दो) सनातन धर्म और भारतीय ज्ञान अध्ययन शाखा;

(तीन) अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अध्ययन शाखा;

(चार) तुलनात्मक धर्मों की शाखा;

(पांच) भाषा, साहित्य और कला की शाखा.

(३) साधारण परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर शाखाओं/केन्द्रों/विभागों को स्थापित, पुनर्गठित अथवा बन्द कर सकेगी.

(४) प्रत्येक प्राध्ययन केन्द्र का एक संकायाध्यक्ष होगा जो परिनियमों में उपबंधित रीति में नियुक्त किया जाएगा.

(५) प्रत्येक प्राध्ययन केन्द्र का एक बोर्ड होगा जिसमें उतने सदस्य होंगे जितने कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाए.

(६) प्राध्ययन केन्द्र के बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

परिनियम. ३७. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए अध्यादेश और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए परिनियमों में उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) ऐसे निकायों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य, जैसा कि समय-समय पर उसके गठन के लिए आवश्यक समझा जाए;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट निकायों के सदस्यों के निर्वाचन या नियुक्ति की रीति और उनकी पदावधि, जिसमें प्रथम सदस्यों के पद में निरन्तरता तथा सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन निकायों से संबंधित अन्य समस्त विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो, सम्मिलित हैं;

(ग) कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें और उसकी शक्तियां और कर्तव्य;

(घ) प्रति कुलपति की पदावधि, सेवा की शर्तें तथा परिलब्धियां तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य;

(ङ) विश्वविद्यालय के कुलसचिव तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य एवं उनकी सेवा की शर्तें;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन का गठन तथा बीमा स्कीम की स्थापना तथा उपदान (ग्रेच्युटी) और अन्य प्रसुविधाओं के लिए उपबंध करना;

(छ) उपाधियां प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन;

(ज) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य विद्या संबंधी सम्मानों का वापस लिया जाना;

(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संकाय, हाल, महाविद्यालय, अध्यापन विभाग, अध्ययन केन्द्र तथा संस्थाओं की स्थापना तथा समाप्ति;

(ट) वे शर्तें, जिनके अधीन महाविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जा सकें;

(ठ) उस स्वायत्ता का विस्तार, जो विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों, अध्ययन केन्द्रों या महाविद्यालय को प्राप्त हैं और वे मामलें जिनके संबंध में ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग किया जा सकेगा;

(ङ) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में आचार्यों, सह आचार्यों, उपाचार्यों (रीडर), व्याख्याताओं तथा अन्य अध्यापकों की अर्हताएं;

(ढ) विन्यासों का प्रशासन तथा अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययन वृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां (एक्जीविशन), वजीफे, पदक, पारितोषिक तथा अन्य पुरस्कार संस्थित किया जाना;

(ण) अधिकारियों की परिलब्धियां तथा उनकी सेवा के निबंधन तथा शर्तें तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों की जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, परिलब्धियां तथा वेतनमान;

(त) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की वरिष्ठता अवधारित करने का तरीका;

(थ) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का संधारण; और

(द) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हों.

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

३८. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम कार्य परिषद् द्वारा बनाये जाएंगे.

(२) साधारण परिषद्, किन्हीं परिनियमों को समय-समय पर बना सकेगी, संशोधित कर सकेगी या उनका निरसन कर सकेगी.

अध्यादेश.

३९. इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) केन्द्रों, अध्यापन विभागों, अध्ययन केन्द्रों तथा प्रयोगशालाओं में छात्रों का प्रवेश तथा फीस का उद्ग्रहण और उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं तथा उनके लिए अर्हताएं;

(ग) विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधिपत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के लिए ली जाने वाली परीक्षाएं;

(घ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश और उपाधियों तथा उपाधिपत्रों हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस;

(ङ) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं के लिए परीक्षाओं में उपस्थित होने हेतु शर्तों का अधिकथित किया जाना;

(च) परीक्षाओं का संचालन;

(छ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र-सहायता-वृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों आदि को प्रदान किए जाने की शर्तें;

(ज) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के मध्य अनुशासन बनाए रखना;

(झ) अध्यापन विभागों, महाविद्यालयों, अध्ययन केन्द्रों के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें तथा हॉल में निवास के लिये फीस का उद्ग्रहण;

(ञ) छात्र निवासों की मान्यता तथा निरीक्षण;

(ट) महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में किए जा सकने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, तथा उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम का विहित किया जाना;

(ठ) नैतिकता संबंधी शिक्षण दिया जाना;

(ड) विश्वविद्यालयों द्वारा प्रतिष्ठापित या संधारित महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का प्रबंध;

(ढ) महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का, जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हों, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण;

(ण) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, कर्तव्य, अर्हताएं तथा नियुक्ति की शर्तें जिनके अन्तर्गत उनका वेतनमान सम्मिलित है;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय के साथ संयुक्त रूप से नियुक्त किए जाने वाले बोर्ड तथा समितियों के कर्तव्य तथा शक्तियां;

(थ) विद्यार्थियों के स्थानांतरण के संबंध में संबंद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालन तथा प्रभावशील किए जाने वाले नियम;

(द) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा रखा जाने वाला विद्यार्थियों का रजिस्टर;

(ध) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से संविदाओं या करारों के निष्पादन का ढंग;

(न) वे दरें, जिन पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, समितियों तथा अन्य निकायों के सदस्यों को और विश्वविद्यालय के परीक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारिवृन्द को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता अनुज्ञेय होगा;

(प) छात्र संघ का गठन तथा उसका ढंग; और

(फ) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम द्वारा अध्यादेशों द्वारा भी उपबंधित किए जाने हैं या उपबंधित किए जाएं :

परन्तु मद (ण) के अधीन कोई अध्यादेश विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों के वेतन के भुगतान के अध्यधीन रहते हुए होगा, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कार्य परिषद् द्वारा अध्यादेश द्वारा नियत वेतनमान के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा, भुगतान किया जाता हो.

४०. (१) प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे और उसके पश्चात् कार्य परिषद् द्वारा अध्यादेश बनाए जाएंगे. **अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.**

(२) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया अध्यादेश उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको वह साधारण परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाए.

४१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कार्य परिषद् को उसमें विनिहित की गई अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रशासन तथा प्रबंध के लिये उपबन्ध करने हेतु विनियम बनाने की शक्ति भी होगी : **विनियम.**

परन्तु कार्य परिषद् ऐसा कोई विनियम जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की हैसियत, शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करता हो, तब तक नहीं बनाएगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित में राय अभिव्यक्त करने का एक अवसर नहीं दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त की गई किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि कार्य परिषद् निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों पर प्रभाव डालने वाला कोई विनियम, विद्या परिषद् की पूर्व सहमति के बिना नहीं बनाएगी और न ही उसे संशोधित या निरस्त करेगी, अर्थात् :—

(एक) विद्या परिषद् का गठन, उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य;

(दो) विश्वविद्यालय के संबंध में अध्यापन पाठ्यक्रम तथा विद्या संबंधी कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी;

(तीन) संकायों, विभागों, छात्र निवासों तथा संस्थाओं की स्थापना और उनका समाप्त किया जाना;

(चार) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें तथा ढंग और परीक्षाओं या अन्य अध्ययन पाठ्यक्रमों का संचालन तथा उसके मानक;

(पांच) छात्रों के नामांकन तथा प्रवेश का ढंग;

(छह) अन्य परीक्षाओं को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन तथा स्तर के समतुल्य मान्यता प्रदान करना.

(२) विद्या परिषद् को यह शक्ति होगी कि वह उपधारा (१) के खण्ड (एक) से (छह) तक में विनिर्दिष्ट समस्त मामलों पर और उससे संसक्त या आनुषंगिक मामलों पर विनियम प्रस्तावित करे.

(३) जहां विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी विनियम का प्रारूप कार्य परिषद् ने नामंजूर कर दिया है वहां विद्या परिषद्, कुलाधिपति को अपील कर सकेगी और कुलाधिपति आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि प्रस्तावित विनियम साधारण परिषद् के आगामी सम्मिलन के समक्ष उसके अनुमोदन के लिये रखा जाए और साधारण परिषद् के ऐसे अनुमोदन के लम्बित रहने तक वह विनियम ऐसी तारीख से, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रभावी होगा :

परन्तु ऐसे विनियम को यदि साधारण परिषद् के ऐसे सम्मिलन में अनुमोदित नहीं किया जाता है तो वह प्रभावी नहीं रह जाएगा.

(४) कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए समस्त विनियम साधारण परिषद् के समक्ष उसके आगामी सम्मिलन में प्रस्तुत किए जाएंगे और साधारण परिषद् को यह शक्ति होगी कि वह कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए किसी विनियम को संशोधित या रद्द कर दे :

परन्तु ऐसे विनियम जहां तक कि वे धारा ४३ में प्रगणित किए गए अनुसार उपदान तथा पेंशन से संबंधित हैं, साधारण परिषद् द्वारा अनुमोदन के पश्चात् ही प्रवृत्त होंगे.

पुनर्विलोकन समिति की नियुक्ति.

४२. (१) साधारण परिषद्, प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने और उस पर अपनी सिफारिशें करने के लिए एक समिति गठित करेगी.

(२) समिति में कम से कम तीन प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे जिनमें से एक समिति का अध्यक्ष होगा.

(३) सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि साधारण परिषद् अवधारित करे.

(४) समिति, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे, अपनी सिफारिश साधारण परिषद् को करेगी.

उपदान तथा पेंशन.

४३. विश्वविद्यालय के समस्त स्थायी कर्मचारी ऐसे परिनियमों के अनुसार, जो उस निमित्त बनाए जाएं, पेंशन तथा उपदान के फायदों के लिए हकदार होंगे. राज्य सरकार का विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों के पेंशन तथा उपदान के भुगतान का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा.

विश्वविद्यालय की निधि.

४४. (१) विश्वविद्यालय के लिए एक विश्वविद्यालय की निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(एक) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अभिदाय या अनुदान;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कोई अभिदाय या अनुदान;

(तीन) कोई वसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेण्ट्स) या अन्य अनुदान जो निजी व्यक्तियों या संस्थाओं या अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किए गए हों;

(चार) विश्वविद्यालय द्वारा फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय; और

(पांच) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त रकमें.

(२) उक्त निधि में की रकम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का २) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी या ऐसी प्रतिभूतियों में विनिहित की जा सकेगी जो कि भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का २) द्वारा प्राधिकृत की गई है जैसा कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए.

(३) उक्त निधि विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति में उपयोग की जा सकेगी जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाय.

वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा.

४५. (१) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किये जाएंगे.

(२) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त संपरीक्षकों द्वारा एक वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी :

परन्तु जब कभी आवश्यक समझा जाए, राज्य सरकार को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि विश्वविद्यालय के और उसके साथ ऐसी संस्थाओं के जिनका प्रबंध विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है, लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे संपरीक्षकों द्वारा, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करें, कराई जाए.

(३) लेखाओं की और उसके साथ, संपरीक्षा रिपोर्ट की एक-एक प्रति साधारण परिषद् के समक्ष रखी जाएगी और राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी तथा तत्पश्चात् यह कार्य परिषद् द्वारा प्रकाशित की जाएगी.

(४) वार्षिक लेखाओं पर साधारण परिषद् द्वारा अपने वार्षिक सम्मिलन में विचार किया जायेगा और साधारण परिषद् उनके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगी और उसे कार्य परिषद् को संसूचित करेगी. कार्य परिषद्, साधारण परिषद् द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगी और उन पर ऐसी कार्रवाई करेगी जैसी कि वह उचित समझे और कार्य परिषद् उसके द्वारा की गई समस्त कार्रवाई या कार्रवाई न किए जाने के कारणों की जानकारी साधारण परिषद् को उसके आगामी सम्मिलन में देगी.

४६. (१) कार्य परिषद् ऐसी तारीख के पूर्व, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, आगामी वर्ष के लिये वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और उन्हें साधारण परिषद् के समक्ष रखेगी. **वित्तीय प्राक्कलन.**

(२) कार्य परिषद् उस दशा में, जहां ऐसी रकम से, जिसका बजट में प्रावधान किया गया है, अधिक व्यय किया जाना है या अत्यावश्यकता की दशा में, व्यय किया जाता है, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और विनियमों में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए व्यय कर सकेगी और जहां ऐसे अधिक व्यय के संबंध में बजट में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं वहां एक रिपोर्ट साधारण परिषद् को उसके आगामी सम्मिलन में की जाएगी.

४७. (१) कार्य परिषद्, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो विनियमों द्वारा विहित की गई हों या जिन्हें साधारण परिषद्, संकल्प पारित करके विनिर्दिष्ट करे और कार्य परिषद् उसके अनुसार कार्रवाई करेगी और की गई कार्रवाई साधारण परिषद् को संसूचित की जाएगी. **वार्षिक रिपोर्ट.**

(२) वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ साधारण परिषद् के संकल्प की प्रतियां राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी और राज्य सरकार उसे यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखवाएगी.

४८. प्रबन्ध तथा प्रशासन से संबंधित समस्त संविदाएं, जब संविदा का मूल्य दस लाख रुपये से अधिक हो तो वह कुलपति द्वारा और जब उसका मूल्य दस लाख रुपये से कम हैं तो कुलसचिव द्वारा उसकी मुद्रा तथा हस्ताक्षर के अधीन निष्पादित की जाएंगी. **संविदाओं का निष्पादन.**

४९. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय को यह शक्ति होगी कि इस अधिनियम के अधीन उपाधि, उपाधिपत्र, प्रमाण-पत्र और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं और पदवियां (टाईटिल्स) प्रदान करे. **उपाधि, उपाधिपत्र, प्रमाण पत्र आदि का प्रदान किया जाना.**

५०. यदि विद्या परिषद् के सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्य सिफारिश करें कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर कि वह विशिष्ट उपलब्धियों तथा हैसियत के कारण उनकी राय में कोई सम्मानिक उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्टता और पदवी (टाईटिल्स) प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है और ऐसी सम्मानिक उपाधि, विद्या संबंधी विशिष्टता और पदवियां (टाईटिल्स) उसे प्रदान की जाएं तो साधारण परिषद्, संकल्प द्वारा यह विनिश्चय कर सकेगी कि सिफारिश किए गए व्यक्ति को ऐसी सम्मानिक उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्टता और पदवी प्रदान की जाए. **सम्मानिक उपाधियां.**

५१. (१) साधारण परिषद्, कार्य परिषद् की सिफारिश पर, साधारण परिषद् के सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले कुल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई या दी गई किसी विशिष्टता, उपाधि, उपाधिपत्र या विशेषाधिकार को उस दशा में प्रत्याहृत कर सकेगी, जबकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें साधारण परिषद् की राय में नैतिक अद्यमता अन्तर्वलित है या कि वह घोर अवचार का दोषी रहा है. **उपाधि, उपाधिपत्र या प्रमाण-पत्र का प्रत्याहरण.**

(२) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति को की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया है.

(३) साधारण परिषद् द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को तुरन्त भेजी जाएगी.

५२. राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये, विश्वविद्यालय को भवन, भूमि या कोई अन्य सम्पत्ति, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उपयोग और प्रबंध किए जाने के लिए ऐसी शर्तों पर और ऐसी सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि राज्य सरकार उचित समझे, अन्तरित कर सकेगी. **सम्पत्ति का अन्तरण.**

५३ (१) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या निकाय का कोई कार्य या कार्रवाई केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि— **रिक्तियों आदि के कारण प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी.**

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है.

(२) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का कोई संकल्प इस कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि किसी सदस्य पर सूचना की तामील में कोई अनियमितता हुई है बशर्ते कि ऐसे प्राधिकारी या निकाय की कार्यवाहियां ऐसी अनियमितता द्वारा प्रतिकूलत: प्रभावित नहीं हुई हों.

प्रारंभ पर कठिनाईयों का दूर किया जाना.

५४. यदि विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के प्रथम सम्मिलन के संबंध में या इस अधिनियम तथा विनियमों के उपबंधों को प्रथम बार प्रभावशील करने में अन्यथा कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो कुलाध्यक्ष किसी भी समय, इसके पूर्व कि विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों का गठन किया जाए, आदेश द्वारा, कोई नियुक्ति कर सकेगा या जहां तक हो सके इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों से संगत कोई ऐसी बात, कर सकेगा जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, और ऐसे किसी आदेश का यह प्रभाव होगा मानो ऐसी नियुक्ति या कार्रवाई, इस अधिनियम तथा परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों में उपबंधित की गई रीति में की गई है :

परन्तु कुलाध्यक्ष ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व कुलपति और विश्वविद्यालय के ऐसे समुचित प्राधिकारी की, जो कि गठित किया जा चुका हो, राय सुनिश्चित करेगा तथा उस पर विचार करेगा.

अस्थायी उपबन्ध.

५५. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, साधारण परिषद् के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिये ऐसे समय तक, ऐसी किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं भी कर्तव्यों का पालन कर सकेगा, जिनका इस अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोग या पालन किया जाना है, जब तक कि इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किये गये अनुसार ऐसा प्राधिकारी अस्तित्व में नहीं आ जाता है.

(२) इस अधिनियम और परिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(एक) प्रथम कुलपति राज्य सरकार की सिफारिश पर कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा. प्रथम कुलपति की पदावधि ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार उचित समझे;

(दो) प्राध्ययन केन्द्र का प्रथम बोर्ड ग्यारह से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा जो साधारण परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और जो तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;

(तीन) प्रथम विद्या परिषद्, साधारण परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाएगी और नामनिर्दिष्ट सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे :

परन्तु यदि उपरोक्त सदस्यों अथवा प्राधिकारियों में कोई रिक्ति होती है तो उसे साधारण परिषद् द्वारा यथास्थिति नियुक्ति अथवा नामांकन से भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह अधिकारी या सदस्य जिसके कि स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती तो पद धारण किए रहता.

कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिये विशेष उपबंध.

५६. (१) यदि राज्य सरकार का किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किए बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और यह कि ऐसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, उसमें वर्णित किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (२), (३), (४) और (५) के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के रूप में निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को लागू होंगे.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है), नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिये प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, उस कालावधि में ऐसी और कालावधि की वृद्धि, जैसा कि वह उचित समझे, इस प्रकार कर सकेगी कि अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक न हो जाए.

(३) नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद धारित करने वाला कुलपति इस बात के होते हुए भी, कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, नियत तारीख से अपना पद रिक्त करेगा और कुलाध्यक्ष, अधिसूचना के जारी होने के साथ-साथ कुलपति को नियुक्त करेगा जो अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान पद धारण करेगा:

परन्तु कुलाध्यक्ष, राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति की नियुक्ति करेगा और वैसी ही रीति में कुलाध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद धारण किये रह सकेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(४) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे:—

(एक) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किये हुए हो, उस पद पर नहीं रह जाएगा;

(दो) जब तक यथास्थिति, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का पुनर्गठन न हो जाये तब तक उपधारा (३) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि कार्य परिषद् या विद्या परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किये गये हों:

परन्तु कुलाध्यक्ष यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किये गये कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिये एक ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा, जिसमें कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे.

(५) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्यशीघ्र, कुलपति, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिये कार्रवाई करेगा और इस प्रकार गठित की गई कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उस तारीख को, जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाय, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, कार्य करना प्रारंभ कर देगी:

परन्तु यदि कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाए तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए उस समय तक करेगा, जब तक कि यथास्थिति, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाए.

संरक्षण.

५७. विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के संबंध में, जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या जिसका इस प्रकार सद्भावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित रहा है. कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी और न ही उनसे कोई नुकसानी का दावा किया जाएगा.

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.

५८. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुई भी प्रभावी होंगे.

असंबद्ध विश्वविद्यालय.

५९. विश्वविद्यालय एक असंबद्ध विश्वविद्यालय होगा.

परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति.

६०. परिनियम, अधिनियम तथा विनियम बनाने की शक्ति में परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों को या उनमें से किसी को, उस तारीख से भूतलक्षी प्रभाव देने वाली शक्ति सम्मिलित है जो इस अध्यादेश के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व की न हो, परन्तु किसी भी परिनियम, अध्यादेश और विनियम को ऐसा भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसे ऐसे परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम लागू होते हों, हित प्रतिकूलतः प्रभावित होते हों.

निरसन तथा व्यावृत्ति

६१. (१) सांची बौद्ध तथा भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अध्यादेश, २०१२ (क्रमांक ५ सन् २०१२) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2013

क्र. 41-3-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (क्रमांक 1 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 1 of 2013

SANCHI UNIVERSITY OF BUDDHIST-INDIC STUDIES ACT, 2012

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Definitions.
3. Establishment and incorporation of University.
4. Objectives of University.
5. Jurisdiction.
6. Prohibition of discrimination in all matters connected with University.
7. Powers and functions of University.
8. Teaching in University.
9. Visitor.
10. Chancellor of University.
11. Powers of Chancellor.
12. Officers of University.
13. Vice-Chancellor.

14. Pro-Vice-Chancellor.
15. Registrar.
16. Deputy Registrar and Assistant Registrar.
17. Finance Officer.
18. Controller of Examinations.
19. Other Officers.
20. Authorities of University.
21. General Council.
22. Term of office of Members of General Council.
23. Powers of General Council.
24. Meetings of General Council.
25. Chairman and Members of Executive Council.
26. Executive Council.
27. Term of office of Executive Council.
28. Powers and functions of Executive Council.
29. Meeting of Executive Council.
30. Constitution of Standing Committees and appointment of ad-hoc committees.
31. Academic Council.
32. Powers and duties of Academic Council.
33. Meetings of Academic Council.
34. Finance Committee.
35. Selection Committee.
36. School of Studies.
37. Statutes.
38. Statutes how made.
39. Ordinance.
40. Ordinances how made.
41. Regulations.
42. Appointment of Review Committee.
43. Gratuity and Pension.
44. Funds of University.
45. Annual accounts and audit.
46. Financial estimates.
47. Annual report.
48. Execution of contracts.
49. Grant of degree, diploma, certificates etc.
50. Honorary degree.
51. Withdrawal of degree, diploma or certificate.
52. Transfer of property.
53. Proceedings of authorities or bodies not to invalidate by vacancies etc.
54. Removal of difficulties at commencement.
55. Transitory provisions.
56. Special provision for better administration of University in certain circumstances.
57. Indemnity.
58. Act to have overriding effect.
59. Non-affiliating University.
60. Power to give retrospective effect to Statutes, Ordinances and Regulations.
61. Repeal and Savings.

MADHYA PRADESH ACT
No. 1 OF 2013

SANCHI UNIVERSITY OF BUDDHIST-INDIC STUDIES ACT, 2012

[Received the assent of the Governor on the 1st January, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Estra-Ordinary)", dated the 3rd January, 2013.]

An Act to provide for establishment and incorporation of the Sanchi University of Buddhist-Indic Studies in the State of Madhya Pradesh to promote study and research in all aspects of Buddhism in India and abroad in conjunction with other Indic systems and to promote the synthesizing character of Indian knowledge and culture and to study all other concerned subjects and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-third year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Sanchi University of Buddhist-Indic Studies Act, 2012.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires, —

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "Chancellor" means the Chancellor of the University;

(c) "Executive Council" means the Executive Council of the University;

(d) "General Council" means the General Council of the University;

(e) "Pro-Vice-Chancellor" means the Pro-Vice-Chancellor of the University;

(f) "Registrar" means the Registrar of the University;

(g) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" means the Statutes, Ordinances and Regulations of the University for the time being in force;

(h) "University" means "Sanchi University of Buddhist-Indic Studies" established under section 3;

(i) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (No. 3 of 1956);

(j) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the University;

(k) "Visitor" means the Visitor of the University.

3. **Establishment and incorporation of University.**—(1) There shall be established in the State of Madhya Pradesh a University by the name of "Sanchi University of Buddhist and Indic Studies".

(2) The headquarters of the University shall be at Sanchi, District Raisen, Madhya Pradesh.

(3) The University shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire and hold property both movable and immovable, to transfer any property held by it and to contract and to do all other things necessary for the purposes of its constitution and shall sue and be sued by the said name.

(4) In all suits and proceedings by or against the University, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar or a representative appointed by him or by any person nominated by him for this purpose and all process in such suits and proceedings shall be issued to and served on the Registrar.

4. **Objectives of University.**—The objectives of the University are to promote study and research in Buddhist- and Indic Studies including the principles of Dhamma, a foundational tenet of Indian culture and to facilitate the cross-pollination of ideas and foster harmony amongst different civilizations of the world. For attainment of these objectives the University shall—

(i) impart education in Buddhist teachings, contemporary philosophy, traditions and practices.

(ii) promote interaction amongst countries of Asia bound by strong historical commonalties of knowledge in areas such as religion, philosophy and culture;

(iii) contribute to the promotion of world peace and harmony by bringing together cultures and civilizations of Asia;

(iv) contribute to the improvement of the educational system in India by providing new perspectives on alternative systems of education;

(v) provide education and training in relevant arts, crafts and skills of Asia;

(vi) and to achieve the above, create a partnership amongst the scholars and academics of Asia and the world.

5. **Jurisdiction.**—(1) The jurisdiction of the University shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh :

Provided that the State Government may permit the University to collaborate with any institution outside the State of Madhya Pradesh or abroad for carrying out partly or wholly any of its teaching or research activities.

(2) The University may seek support from the Government of Madhya Pradesh, Government of India and from other sources.

6. **Prohibition of discrimination in all matters connected with University.**—The University shall not discriminate against any citizen of India on grounds of religion, race, caste, creed, sex, place of birth, political or other opinion or any of them in the exercise of powers or performance of functions conferred or imposed upon it by or under this Act.

7. **Powers and functions of University.**—The powers and functions of the University shall be as under : —

(i) to provide, upgrade and promote holistic and comprehensive education, training and research as set out in the objectives, and to create an enabling and conducive environment for the pursuit of such education;

(ii) to promote the study and design of innovative courses and effective methods of teaching and study;

(iii) to set up a consortium of international partners in furtherance of the objectives of the University;

(iv) to generate resources through consultancy services, continuing education programmes, national and international collaborations and intellectual property rights;

(v) to prescribe qualifications and to regulate the admission of students to course of study for a degree, diploma or certificate to be awarded by the University;

(vi) to establish and develop a library and preserve literature and manuscripts in physical and digital forms;

(vii) to hold examinations and to grant diplomas or certificates, and to confer degrees and other academic distinctions on persons subject to such conditions as the University may determine and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(viii) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner laid down in the Statutes;

(ix) to fix, demand and receive fees and other charges;

(x) to establish and maintain hostels and halls of residences and to recognize and control halls of residence of students not maintained by the University and other accommodation and to withdraw such recognition accorded to any such place of residence;

(xi) to institute professorships, associate professorships, assistant professorships, readerships and lecturership and any other teaching, academic or research posts required by the University and to make appointments thereto;

(xii) to create technical, administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;

(xiii) to regulate and enforce discipline among the students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(xiv) to institute and award fellowships, scholarships, prizes and medals;

(xv) to give up and cease from carrying on any classes or departments of the University;

(xvi) to co-operate with any other organization in the matter of education, training and research of Buddhism and allied subjects for such purposes as may be agreed upon on such terms and conditions as the University may from time to time determine;

(xvii) to regulate the expenditure and to manage the accounts of the University;

(xviii) to receive such grants, subventions, subscriptions, donations and gifts for the purpose of the University and consistent with the objects for which the University is established;

(xix) to purchase, take on lease or accept as gifts or otherwise any land or building or works, which may be necessary or convenient for the purpose of the University on such terms and conditions as it may deem fit and proper and to construct or alter and maintain any such buildings or works;

(xx) to sell, or otherwise dispose of all or any portion of movable properties of University, on such terms as it may deem fit and proper without prejudice to the interest and activities of the University;

(xxi) to sell, or otherwise dispose of all or any portion of immovable properties of University, on such terms as it may deem fit and proper without prejudice to the interest and activities of the University, with prior permission of the State Government;

(xxii) to negotiate promissory notes, bills of exchange, cheques or other negotiable instruments;

(xxiii) to execute conveyances, transfers, re-conveyances, mortgages, leases and agreements in respect of movable or immovable property including Government securities belonging to the University or to be required for the purpose of the University;

(xxiv) to appoint any such person as it may deem fit, to execute an instrument or transact any business or discharge the functions of the University under above clauses (xviii), (xix), (xx) and (xxi);

(xxv) to enter into any agreement with Central Government, State Government, the University Grants Commission or other authorities for receiving grants;

(xxvi) to raise and borrow money on bonds, mortgage, promissory notes or other obligations or securities founded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities upon such terms and conditions as it may deem fit and to pay out of the funds of the University all expenses incidental to the raising of money and to repay and redeem any money borrowed;

(xxvii) to invest the funds of the University or fund entrusted to the University in or upon such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investment;

(xxviii) to make such regulations as may, from time to time, be considered necessary for regulating the affairs and the management of the University and to alter, modify and rescind them;

(xxix) to constitute for the benefit of the academic, technical, administrative and other staff, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes, such pension, insurance and gratuity as it may deem fit and to make such grants as it may think fit for the benefit of any employees of the University and to aid in establishment and support of the associations, institutions, funds, trusts and conveyance calculated to benefit the staff and the students of the University; and

(xxx) to do all such other acts and things as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainment or enlargement of all or any of its objectives.

8. **Teaching in University.**—(1) All recognised teaching in connection with the degrees, diplomas and certificates of the University shall be conducted under the control of the General Council by the teachers of the University in accordance with the syllabus prescribed by the regulations.

(2) The courses and curricula and the authorities responsible for organising such teaching shall be as prescribed by the Regulations.

Explanation.—In sub-section (1), "teacher" means professors, associate professors, assistant professors, readers and such other persons appointed with the approval of the Academic Council as well as the Executive Council, for imparting education and conducting research in the college or institution run by the University.

9. **Visitor.**—(1) The Governor of Madhya Pradesh shall be the Visitor of the University.

(2) The Visitor shall have the right to cause an inspection of the University its buildings, laboratories and equipments of any college and of any institution maintained by the University and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University to be made by such persons or as he may direct, and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University.

(3) The Visitor shall in every case give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(4) The Visitor may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection and inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the Visitor with such advice as the Visitor may offer upon the action to be taken thereon.

(5) The Executive Council shall communicate through the Vice-Chancellor to the Visitor such action, if any, as it is proposed to take or has been taken upon the result of such inspection or inquiry.

(6) Where the Executive Council does not within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Visitor, the Visitor may, after considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council, issue such directions as he may think fit and the Executive Council shall be bound to comply with such directions.

(7) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Visitor may, by order in writing, annul any proceeding of the University which is not in conformity with this Act, the Statutes or the Ordinances :

Provided that before making any such order, he shall call upon the University to show cause why such an order should not be made and if any cause is shown within a reasonable time shall consider the same.

10. **Chancellor of University.**—(1) The General Council shall appoint any person who is a scholar of international repute to be the Chancellor of the University :

Provided that the sitting Chancellor shall not be present in a General Council meeting in which the appointment of next Chancellor is discussed.

(2) The Chancellor shall hold office for a term of three years:

Provided that the Chancellor shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until the appointment of his successor.

(3) If the office of the Chancellor becomes vacant the functions of his office shall, until some person is appointed under sub-section (1) to the vacant office, be performed by the Vice-Chancellor.

11. **Powers of Chancellor.**—(1) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the Head of the University.

(2) The Chancellor shall, if present, preside at the convocation of the University for conferring degrees.

12. **Officers of University**.—The following shall be the officers of the University, namely :—

(i) the Chancellor,
(ii) the Vice-Chancellor,
(iii) the Pro-Vice-Chancellor,
(iv) the Registrar,
(v) Deputy Registrar,
(vi) Assistant Registrar,
(vii) the Finance Officer,
(viii) Controller of Examination, and
(ix) such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

13. **Vice-Chancellor.**—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Visitor, on such emoluments and other conditions of service as may be prescribed by the Statutes, from a panel of not less than three persons recommended by the General Council :

Provided that when the General Council considers names for a panel to be recommended to the Visitor for the post of Vice-Chancellor, the sitting Vice-Chancellor shall not be present in the meeting and the Secretary-in-charge of Culture Department shall act as Member Secretary of General Council :

Provided further that the first Vice-Chancellor shall be appointed by the Visitor on the recommendation of the State Government.

(2) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of four years and shall not be eligible for appointment for more than two terms :

Provided that he shall cease to hold office on attaining the age of seventy years :

Provided further that notwithstanding the expiry of his terms he shall continue to hold office until his successor is appointed and enters upon his office but this period shall not in any case exceed six months.

(3) The Vice-Chancellor shall be the principal academic and executive officer of the University, and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all the authorities of the University.

(4) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall report to such authority the action taken by him on such matter :

Provided that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final :

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by any action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section shall have the right to represent against such action to the General Council within ninety days from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon the General Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(5) If the Vice-Chancellor is of the opinion that a decision of any authority of the University is beyond the powers of the authority conferred by the provisions of this Act, the Statutes or the Ordinances or that any decision taken is not in the interest of the University, he may ask the authority concerned to review its decision within sixty days of such decision and if the authority refuses to review its decision either in whole or in part or no decision is taken by it within the said period of sixty days, the matter shall be referred by the Vice-Chancellor to the Visitor whose decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and discharge such other functions as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.

14. **Pro-Vice-Chancellor** .—(1) The Vice-Chancellor shall nominate one of the Deans as Pro-Vice-Chancellor who shall hold office at the pleasure of the Vice-Chancellor and shall perform such functions as may be assigned to him by the Vice-Chancellor.

(2) The tenure of the Pro-Vice-Chancellor shall be co-terminus with that of the Vice-Chancellor.

15. **Registrar.**—(1) The Registrar shall be a whole time officer of the University and shall be appointed by the State Government or shall be appointed on deputation. The terms and conditions of service of the Registrar shall be such as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Registrar shall have the power to enter into agreement and sign documents and authenticate records on behalf of the University.

(3) The Registrar shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed by the Statutes.

(4) The Registrar shall be Member Secretary of the Executive Council.

16. **Deputy Registrar and Assistant Registrar.**—(1) The Deputy Registrar and Assistant Registrar shall be appointed on deputation by the State Government. The terms and conditions of service of the Deputy Registrar and Assistant Registrar shall be such as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Deputy Registrar and Assistant. Registrar shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed by the Statutes.

17. **Finance Officer.**—The Finance Officer shall be a whole time officer of the University and shall be appointed by the State Government, or shall be appointed on deputation. The terms and conditions of service of the Finance Officer shall be such as may be prescribed by the Statutes.

18. **Controller of Examinations.**—The Controller of Examinations shall be appointed in such manner and on such terms and conditions of service and shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed by the Statutes.

19. **Other Officers.**—The manner of appointment and emoluments, powers and duties of other officers of the University shall be prescribed by the Statutes.

20. **Authorities of University.**—The following shall be the Authorities of the University :—

(i) The General Council,

(ii) The Executive Council,

(iii) The Academic Council,

(iv) The Finance Committee, and

(v) such other authorities as may be prescribed by the Regulations.

21. **General Council.**—There shall be a General Council of the University which shall consist of the following members, namely: —

A. Ex-officio Members

(i)	Chief Minister of Madhya Pradesh	Chairman
(ii)	Chancellor	Vice-Chairman
(iii)	Minister-in-charge of Culture Department, Government of Madhya Pradesh	Member
(iv)	Minister-in-charge of Finance Department, Government of Madhya Pradesh	Member
(v)	Secretary-in-charge of Culture Department, Government of Madhya Pradesh	Member
(vi)	Secretary-in-charge of Higher Education Department, Government of Madhya Pradesh	Member
(vii)	Secretary-in-charge of Finance Department, Government of Madhya Pradesh	Member
(viii)	The Director/Vice-Chancellor of Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath	Member
(ix)	Vice-Chancellor	Member-Secretary

B. Nominated Member

(x)	Two scholars from the field of Buddhist-Indic studies nominated by the Visitor in consultation with the State Government.	Member
(xi)	Six eminent persons in the field of Arts, Science, Literature and public life to be nominated by the Government of Madhya Pradesh.	Member
(xii)	One member to be nominated by Ministry of Human Resources, Government of India.	Member

22. **Term of office of Members of General Council.**—(1) The term of office of the nominated members of the General Council shall be five years and in special circumstances the State Government may extend the term for one year.

(2) Where a member of the General Council becomes such member by reason of the office or appointment he hold, or is a nominated member, his membership shall terminate when he ceases to hold such office or appointment or, as the case may be, his nomination is withdrawn or cancelled.

(3) A member of the General Council shall cease to be a member, if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member other than the Vice-Chancellor accepts a full time appointment in the University or if he fails to attend three consecutive meetings of the General Council without the leave of the Chairman or acts against the interests of the University.

(4) A member of the General Council may resign his office by a letter addressed to the Chairman and such resignation shall take effect as soon as such resignation has been accepted by him.

(5) Any vacancy in the General Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, of a person by respective authority entitled to make the same and the person so appointed or nominated shall hold office so long only as the member in whose place he is appointed or nominated could hold office if the vacancy had not occurred.

23. **Powers of General Council.**—The General Council shall have the following powers, namely: —

(i) to exercise the powers and functions of University laid down in Section 7, except where such powers are given to some other authority or officer of the University;

(ii) to review from time to time the broad policies and programmes of the University and to take measures for the improvement and development of University;

(iii) to consider and pass resolutions, as deemed fit on the annual report, financial estimates, annual accounts and the audit reports on such accounts;

(iv) to delegate all or any of its powers to the Vice-Chancellor or any committee or any sub-committee or to any one or more of its members or any employee of the University;

(v) to discharge such other functions as it may deem necessary for the efficient functioning and administration of the University; and

(vi) to approve or review or cancel any decision, act or resolution of the Executive Council and the Academic Council.

24. **Meetings of General Council.**—(1) The General Council shall meet at least once in a year and at least fifteen days notice shall be given for its meetings.

(2) The Chairman shall preside over the meeting and in his absence the Chancellor shall preside over the meeting.

(3) One third of the total number of members of the General Council shall form the quorum for a meeting.

(4) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the General Council, the Chairman or the person presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote.

(5) If urgent action by the General Council becomes necessary, the Chairman may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the General Council, and the action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of the members of the General Council and the action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the General Council and the papers shall be placed before the next meeting of the General Council for confirmation.

(6) A report of the working of the University during the previous year, together with a statement of receipts and expenditure, the balance sheet duly audited and the financial estimate shall be presented by the Vice-Chancellor to the General Council at its annual meeting.

25. **Chairman and Members of Executive Council.**—(1) There shall be an Executive Council of the University which shall consist of the following members, namely:—

(i) The Vice-Chancellor—**Chairman;**

(ii) Three members of the General Council to be nominated by the General Council—**Members;**

(iii) Secretary-in-charge of Culture Department, Government of Madhya Pradesh or his nominee not below the rank of Deputy Secretary—**Member;**

(iv) Secretary-in-charge of Finance Department, Government of Madhya Pradesh or his nominee not below the rank of Deputy Secretary—**Member;**

(v) Secretary-in-charge of Higher Education Department, Government of Madhya Pradesh or his nominee not below the rank of Deputy Secretary—**Member;**

(vi) One professor of the University by seniority on a rotation basis—**Member;**

(vii) One Dean of the University from amongst the Deans by seniority on a rotation basis—**Member;**

(2) The Registrar shall be the Secretary of the Executive Council.

(3) The term of office of the Executive Council shall be three years and the term of the members shall be coterminous with the term of the Executive Council.

26. **Executive Council.**—(1) The Executive Council shall be the chief executive body of the University.

(2) The administration, management and control of the University and the income thereof shall be vested with the Executive Council which shall control and administer the property and funds of the University.

27. Term of office of Executive Council.—(1) Where a person has become a member of the Executive Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.

(2) A member of the Executive Council shall cease to be a member if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member other than the Vice Chancellor or a member of a faculty accepts a full time appointment in the University or if he fails to attend three consecutive meetings of the Executive Council without the leave of the Chairman of the Executive Council, or acts against the interests of the University.

(3) Unless their membership of the Executive Council is previously terminated as provided in sub-section (1) or (2), members of the Executive Council shall relinquish their membership on the expiry of five years from the date on which they become members of the Executive Council.

(4) A member of the Executive Council other than an ex-officio member may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Executive Council and such resignation shall take effect as soon as it is accepted by the Chairman of the Executive Council.

(5) Any vacancy in the Executive Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, by the respective authority entitled to make the same and on the expiry of the period of the vacancy such appointment or nomination shall cease to be effective.

28. **Powers and functions of Executive Council.**—Without prejudice to the provisions of Section 23, the Executive Council shall have the following powers and functions :—

(i) to create, abolish or classify teaching posts in the University and to determinate the qualifications, emoluments and duties attached thereto after considering the recommendations of the Academic Council :

Provided that the teaching post shall be created with the prior approval of the State Government;

(ii) to appoint from time to time, the librarian, professors and other members of the teaching staff as may be necessary on the recommendations of the selection committee constituted by regulations for the purpose:

Provided that it shall not be necessary to constitute any selection committee for making appointment :—

(a) to any supernumerary post; or

(b) to the post of Professor of a high academic distinction, eminence and professional attainment;

(iii) to create administrative, ministerial and other necessary posts, with the prior sanction of the State Government and to determine the minimum qualifications and emoluments of such posts;

(iv) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose to appoint such agents, as it may deem fit;

(v) to transfer or accept transfer of any movable property on behalf of the University subject to the approval of the General Council;

(vi) to transfer or accept transfer of any immovable property on behalf of the University with prior permission of the State Government;

(vii) to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may deem fit;

(viii) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University.

29. **Meeting of Executive Council.**—(1) The Executive Council shall meet at least once in four months.

(2) The Chairman of the Executive Council shall preside over a meeting of the Executive Council, and in his absence the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

(3) One half of the total members of the Executive Council shall form the quorum at any meeting thereof.

(4) Each member of the Executive Council shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council, the Chairman of the Executive Council, or as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.

(5) If urgent action by the Executive Council becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Executive Council and the action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Executive Council and the action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Executive Council and the papers shall be placed before the next meeting of the Executive Council for confirmation.

30. **Constitution of standing committees and appointment of ad-hoc committees.**—(1) Subject to the provisions of this Act and the regulations made in this behalf, the Executive Council may, by resolution, constitute such standing committees or appoint ad-hoc committees for such purposes and with such powers as the Executive Council may think fit for exercising any power or discharging any function of the University or for enquiring into, reporting or advising upon any matter relating to the University.

(2) The Executive Council may constitute or appoint committees or sub-committees as may be prescribed by regulations.

(3) The Executive Council may co-opt such persons to a standing committee or an ad-hoc committee as it considers suitable and may permit them to attend the meetings of the Executive Council.

31. **Academic Council.**—(1) The Academic Council shall be the academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and regulations made thereunder, have power of control and general regulation of and be responsible for the maintenance of standards of instructions, education and examination of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by this Act and the Statutes, Ordinances and regulations made thereunder, and it shall have the right to advise the General Council on all academic matters.

(2) The Academic Council shall consist of the following members, namely:—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman thereof;

(ii) three experts nominated by Vice-Chancellor, who are working in other Universities;

(iii) All the Deans and Heads of the Department and two professors nominated by the Vice-Chancellor; and

(iv) one member of the teaching staff representing associate and assistant professors of the University nominated by the Vice-Chancellor :

Provided that an employee of the University shall not be eligible for nomination under clause (ii) above.

(3) The term of office of the members other than ex-officio members shall be three years :

Provided that the term of the first Academic Council shall be five years, that of second and third Academic Council shall be of three years each.

(4) Registrar shall be Secretary of the Academic Council.

32. **Powers and duties of Academic Council.**—Subject to the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and regulations made thereunder, the Academic Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:—

(i) to report on any matter referred or delegated to it by the General Council or the Executive Council;

(ii) to make recommendations to the Executive Council with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the qualifications, emoluments and duties attached thereto;

(iii) to formulate and modify or revise schemes for organisation of the faculties and to assign to such faculties their respective subjects and also to report to the Executive Council as the expediency of the abolition or sub-division of any faculty or the combination of one faculty with another;

(iv) to make arrangements through regulations for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University;

(v) to promote research within the University and to require, from time to time, report on such research;

(vi) to consider proposals submitted by the faculties;

(vii) to appoint committees for admission to the University;

(viii) to recognize diplomas and degrees of other Universities and institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degrees of the University;

(ix) to fix, subject to any conditions accepted by the General Council, the time, mode and conditions of competitions for fellowships, scholarships and other prizes and to award the same;

(x) to make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and if necessary their removal and the fixation of their fees, emoluments, and traveling and other expenses;

(xi) to declare the result of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment of degrees, honours, diplomas, titles and marks of honour;

(xii) to award stipends, scholarships, medals and prizes, and to make other awards in accordance with the Ordinances and such other conditions as may be attached to the awards;

(xiii) to publish list of prescribed or recommended text books and to publish syllabus of the prescribed courses of study;

(xiv) to prepare such forms and registers as are, from time to time, prescribed by regulations; and

(xv) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and regulations made thereunder;

(xvi) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Act.

33. **Meetings of Academic Council.**—(1) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than twice during an academic year.

(2) The Chairman of the Academic Council shall preside over the meeting of the Academic Council and in his absence the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

(3) One half of the total number of members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council.

(4) Each member of the Academic Council shall have one vote and if there be an equality of votes on any question to be determined by the Academic Council, the Chairman of the Academic Council or, as the case may be, the member presiding over the meeting, shall, in addition, have a casting vote.

(5) If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Academic Council and the action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Academic Council and the action so taken shall be intimated forthwith to all the members of the Academic Council and the papers shall be placed before the next meeting of the Academic Council for confirmation.

34. **Finance Committee.**—(1) There shall be a Finance Committee consisting of the following members, namely:—

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) three members nominated by the Executive Council from amongst its members;

(iii) an officer each of the Finance Department and the Culture Department (not below the rank of Deputy Secretary) Government of Madhya Pradesh, to be nominated by the State Government;

(iv) the Finance Officer of the University shall be the Member-Secretary.

(2) The Finance Committee shall have the following powers, duties and functions, namely :—

(i) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Executive Council;

(ii) to consider all proposals for new expenditure and to make recommendations to the Executive Council;

(iii) to consider the periodical statements of accounts and to review the finances of the University from time to time and to consider reappropriation statements and audit reports and to make recommendations to the Executive Council;

(iv) to give its views and to make recommendations to the Executive Council on any financial matter affecting the University either on its own initiative or on reference from the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(3) The Finance Committee shall meet at least once in six months and three members of the Finance Committee shall form its quorum.

(4) The Vice-Chancellor shall preside over the meetings of the Finance Committee, and in his absence the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

35. **Selection Committee.**—(1) The Executive Council shall constitute Selection Committee for making recommendations to the Executive Council for appointment to posts of professors, associate professors and other teachers in the University.

(2) The Selection Committee shall consist of the following members:—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman of the Committee;

(ii) three subject experts nominated by the Chancellor from a panel submitted by the Academic Council of five experts in the subject, not connected with the University in any manner whatsoever :

Provided that atleast one of the three experts shall be nominated from category of Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes. In case of non-availability of an expert from these categories, one Administrative officer not below the rank of Commissioner, who belongs to reserved categories, shall be nominated;

(iii) three members nominated by the State Government.

(3) The meeting of the Selection Committee shall be convened by the Vice-Chancellor as and when necessary and three members shall constitute its quorum.

(4) On the recommendation of the Executive Council, the Vice-Chancellor shall have power to appoint scholars and subject experts in the University on special service conditions so as to attract them for teaching.

(5) To achieve the objective of the University, the State Government may employ its teachers on deputation for a fixed tenure following a prescribed procedure.

36. **School of Studies.**— (1) There shall be such number of Schools, Centres and Departments of Studies as the General Council may determine from time to time.

(2) Without prejudice to the foregoing provision, the University shall have the following Schools of Studies, which may be established in phases as the General Council may decide :—

(i) School of Buddhist Philosophy;

(ii) School of Sanatana Dharma and Indic Studies;

(iii) School of International Buddhist Studies;

(iv) School of Comparative Religions;

(v) School of Language, Literature & Arts.

(3) The General Council may set-up, re-organise or close the Schools/Centres/Departments on the recommendation of the Academic Council.

(4) Every school of Study shall have a Dean who shall be appointed in the manner provided in the Statutes.

(5) Every School of Studies shall have a Board comprising of such members as may be prescribed by the Statutes.

(6) The powers and functions of the Boards of School of Studies shall be such as may be prescribed by the Statutes.

37. **Statutes.**—Subject to the provisions of this Act and the Ordinances and regulations made thereunder, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely: —

(a) the constitution, powers and duties of such bodies as may be deemed necessary to constitute from time to time;

(b) the manner of election or appointment and the term of office of the members of the bodies referred to in clause (a) including the continuance in the office of the first members and filling of vacancies of members and all other matters relating to those bodies for which it may be necessary or desirable to provide;

(c) emoluments and other terms and conditions of service of the Vice-Chancellor and his powers and duties;

(d) the term of office, conditions of service and emoluments of the Pro-Vice-Chancellor and his powers and duties;

(e) powers and duties of the Registrar and other officers and employees of the University and the conditions of their service;

(f) the constitution of a pension and the establishment of an insurance scheme and provision of gratuity and other benefits for the benefit of the officers, teachers and other employees of the University;

(g) the holding of convocation to confer degrees;

(h) conferment of honorary degrees;

(i) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(j) the establishment and abolition of faculties, halls, colleges, teaching departments, schools of studies and institutions maintained by the University;

(k) the conditions under which colleges and other institutions may be admitted to the privileges of the University;

(l) the extent of the autonomy which the teaching departments of the University, schools of studies or colleges may have and the matters in relation to which such autonomy may be exercised;

(m) qualifications of Professors, Associate Professors, Readers, Lecturers and other teachers in affiliated colleges and recognized institutions;

(n) the administration of endowments, and the institutions of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, bursaries, medals, prizes and other awards;

(o) the emoluments and terms and conditions of service of the officers and the emoluments and scales of teachers of the University paid by the University;

(p) the mode of determining seniority of Officers and employees of the University;

(q) the maintenance of a register of registered graduates; and

(r) all other matters which by this Act are to be provided for by Statutes.

38. **Statutes how made.**—(1) The first Statutes of the University shall be prepared by the Executive Council.

(2) The General Council may, from time to time, make, amend or repeal any Statutes.

39. **Ordinance.**—Subject to the provisions of this Act and the Statutes and regulations made thereunder, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the admission of students to centres, teaching departments, schools' of studies and laboratories and levy of fees and their enrolment;

(b) the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions to be awarded by the University and the qualifications of the same;

(c) the examinations leading to the degrees, diplomas and certificates of the University;

(d) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examination, degrees and diplomas of the University;

(e) laying down conditions for appearing at examinations for degrees, diplomas, certificates and other academic distinction;

(f) conduct of examinations;

(g) the condition of the award of fellowships, scholarship, studentships, exhibitions, medals, prizes etc;

(h) the maintenance of discipline amongst the students of the University;

(i) the conditions of residence of the students of teaching departments, colleges, schools of studies and the levy of fees for residence in halls;

(j) the recognition and inspection of halls;

(k) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and prescribing for them special courses of study;

(l) giving of moral instructions;

(m) the management of colleges and other institutions founded or maintained by the University;

(n) the supervision and inspection of colleges and other institutions admitted to the privileges of the University;

(o) the duties, qualifications and conditions of appointment including pay scales of teachers of the University paid by the University;

(p) the duties and powers of the Boards and committees to be appointed by the University jointly with any other University or body;

(q) the rules to be observed and enforced by affiliated colleges and recognized institutions in respect of transfer of students;

(r) the register of students to be kept by affiliated colleges and recognized institutions;

(s) the mode of execution of contracts or agreements by or on behalf of the University;

(t) the rates at which travelling allowance and daily allowance shall be admissible to the members of the authorities, committees and other bodies of the University, the examiners, the officers and staff of the University;

(u) constitution of Students' Union and its mode; and

(v) all other matters which by this Act are also to be or may be provided for by the Ordinances :

Provided that an Ordinance under item (o) shall be subject to the payment of the salaries to the teachers of the University paid by the University in accordance with scales fixed by the Executive Council by Ordinance with the prior approval of the State Government.

40. **Ordinances how made.**—(1) All Ordinances except the first Ordinance shall be made by Vice-Chancellor after the approval of the State Government and thereafter the Ordinance shall be made by the Executive Council.

(2) An Ordinance made by the Executive Council shall come into force from the date on which it is approved by the General Council.

41. **Regulations.**—(1) Subject to the provisions of this Act, the Executive Council shall have, in addition to all the other powers vested in it, the power to frame regulations to provide for the administration and management of the affairs of the University :

Provided that the Executive Council shall not make any regulation affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing the opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council:

Provided further that except with the prior concurrence of the Academic Council, the Executive Council shall not make, amend or repeal any regulation affecting any or all of the following matters, namely: —

(i) the constitution, powers and duties of the Academic Council;

(ii) the authorities responsible for organising teaching in connection with the University courses and related academic programmes;

(iii) the establishment and abolition of faculties, departments, halls and institutions;

(iv) conditions and modes of appointment of examiners, and conduct and standard of examinations or any other course of study;

(v) mode of enrollment and admission of students;

(vi) examinations to be recognised as equivalent to conduct and standard of examinations of the University.

(2) The Academic Council shall have the power to propose regulations on all the matters specified in clauses (i) to (vi) of sub-section (1) and matters connected therewith or incidental thereto.

(3) Where the Executive Council has rejected the draft of a regulation proposed by the Academic Council, the Academic Council may appeal to the Chancellor and the Chancellor may, by order, direct that the proposed regulation may be laid before the next meeting of the General Council for its approval and pending such approval of the General Council it shall have effect from such date as may be specified in that order :

Provided that if the regulation is not approved by the General Council at such meeting, it shall cease to have effect.

(4) All regulations made by the Executive Council shall be placed before the General Council at its next meeting, and the General Council shall have the power to amend or cancel any regulation made by the Executive Council:

Provided that the regulations so far as they relate to the gratuity and pension as enumerated in Section 43, shall come into force only after approval by the General Council.

42. **Appointment of Review Committee.**—(1) The General Council may once in every five years constitute a committee to review the working of the University and to make recommendations.

(2) The Committee shall consist of not less than three eminent educationists one of whom shall be the Chairman.

(3) The terms and conditions of the appointment of the members shall be such as the General Council may determine.

(4) The Committee shall, after holding such enquiry as it deems fit, make its recommendation to the General Council.

43. **Gratuity and Pension.**—All the permanent employees of the University shall be entitled to the benefit of gratuity and pension in accordance with such Statutes as may be framed in that behalf. The State Government shall not have any responsibility of payment of pension and gratuity of the teachers, officers and employees appointed by the University.

44. **Fund of University.**— (1) There shall be for the University, a University Fund which shall include:—

(i) any contribution or grant made by the State Government;

(ii) any contribution or grant made by the University Grants Commission or the Central Government;

(iii) any bequests, donations, endowments or other grants made by private individuals or institutions or International Institute;

(iv) income received by the University from fees and charges; and

(v) amounts received from any other source .

(2) The amount in the said Fund shall be kept in a scheduled bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934) or may be invested in such securities authorized by the Indian Trusts Act, 1882 (No.2 of 1882) as may be decided by the Executive Council.

(3) The said Fund may be utilized for such purpose of the University and in such manner as may be prescribed by regulations.

45. **Annual accounts and audit.**—(1) The annual accounts of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council.

(2) The accounts of the University shall, at least once in a year, be audited by the auditors appointed by the Executive Council.

(3) A copy of the audited accounts together with the audit report shall be placed before the General Council and also shall be submitted to the State Government and thereafter it shall be published by the Executive Council.

(4) The annual accounts shall be considered by the General Council at its annual meeting and the General Council may pass resolutions with reference thereto and communicate the same to the Executive Council and the Executive Council shall consider the suggestions made by the General Council and take such action thereon as it deems fit and the Executive Council shall inform the General Council at its next meeting all actions taken by it or the reasons for not taking action.

46. **Financial Estimates.**—(1) The Executive Council shall prepare before such date as may be prescribed by the regulations, the financial estimates for the ensuing year and place the same before the General Council.

(2) The Executive Council may, in case where the expenditure is in excess of the amount provided in the budget is to be incurred or in cases of urgency for reasons to be recorded in writing, incur expenditure subject to such restrictions and conditions specified in the regulations and where no provision has been madc in thc budget in respect of such excess expenditure a report shall be made to the General Council at its next meeting.

47. **Annual Report.**—(1) The Executive Council shall prepare an annual report, containing such particulars as are prescribed by regulations or as may be specified by the General Council by passing resolution and the Executive Council shall take action in accordance therewith and the action taken shall be intimated to the General Council.

(2) Copies of the annual report along with the resolution of the General Council thereon shall be submitted to the State Government and the State Government shall, as soon as may be, cause the same to be laid on the table of the Legislative Assembly.

48. **Execution of contracts.**—All contracts relating to the management and administration shall be executed by the Vice-Chancellor under his seal and signature, when the value of the contract is above ten lakh rupees and by the Registrar, when its value does not exceed ten lakh rupees.

49. **Grant of degree, diploma, certificates etc.**—Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the University shall have power to grant degree, diplomas, certificates and other academic distinctions and titles under this Act.

50. **Honorary degrees.**—If not less than two thirds of the members of Academic Council, recommend that an honorary degree or academic distinction and titles be conferred on any person on the ground that he is in their opinion by reason of eminent attainment and position, fit and proper to receive such degrees or academic distinction and title, the General Council may, by a resolution, decide that the same may be conferred on the person recommended.

51. **Withdrawal of degree, diploma or certificate.**—(1) The General Council may, on the recommendation of the Executive Council, withdraw any distinction, degree, diploma or privilege conferred on or granted to any person, by a resolution passed by the majority of not less than two thirds of the total members of the General Council present and voting at the meeting, if such person has been convicted by a court of law for an offence which in the opinion, of the General Council involves moral turpitude or he has been guilty of gross misconduct.

(2) No action under this Section shall be taken against any person unless he has been given a reasonable opportunity to show cause against the action proposed to be taken.

(3) A copy of the resolution passed by the General Council shall be immediately sent to the person concerned.

52. **Transfer of property.**—The State Government may transfer to the University, buildings, lands or any other property, whether movable or immovable, for use and management by the University on such conditions and subject to such limitations as the State Government may deem fit for the purpose of this Act.

53. **Proceeding of authorities or bodies not to invalidate by vacancies etc.**— (1) No act or proceeding of any authority, committee or body of the University shall be invalid merely by reason of : —

(a) any vacancy in or defect in the constitution thereof; or

(b) any defect in the nomination or appointment of a person acting as a member thereto; or

(c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

(2) No resolution of any authority or body of the University shall be deemed to be invalid on account of any irregularity in the service of notice upon any member provided that the proceedings of such authority or body were not prejudicially affected by such irregularity.

54. **Removal of difficulties at commencement.**—If any difficulty arises with respect to the establishment of the University or in connection with the first meeting of any authority of the University or otherwise in first giving effect to the provisions of this Act and the regulations, the Visitor may, at any time, before all authorities of the University have been constituted, by order, make any appointment or do anything consistent, so far as may be, with the provisions of this Act and the regulations, which appear to him necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty and every such order shall have effect as if such appointment or action had been made or taken in the manner provided in this Act and the Statutes, Ordinances and regulations :

Provided that before making any such order the Visitor shall ascertain and consider the opinion of the Vice-Chancellor and of such appropriate authority of the University as may have been constituted.

55. **Transitory provisions.**—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Vice-Chancellor may, with the previous approval of the Chairman of the General Council and subject to the availability of funds, discharge all or any of the functions of the University for the purpose of carrying out the provisions of this Act and for that

purposes may exercise any powers or perform any duties, which by this Act are to be exercised or performed by any authority of the University until such authority comes into existence as provided by this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes:—

(i) the first Vice-Chancellor shall be appointed on recommendation of State Government by the Visitor. The term of office of the first Vice-Chancellor shall be such as the State Government may think fit;

(ii) the first Board of School of Studies shall consist of not more than eleven members, who shall be nominated by the General Council and they shall hold office for a term of three years;

(iii) the first Academic Council shall be nominated by the General Council and nominated members shall hold office for a term of three years:

Provided that if any vacancy occurs in the above members or authorities, the same shall be filled by appointment or nomination, as the case may be, by the General Council, and the person so appointed or nominated shall hold office for so long as the officer or member in whose place he is appointed or nominated would have held office, if such vacancy had not occurred.

56. **Special provision for better administration of University in certain circumstances.**—(1) If the State Government is on receipt of a report or otherwise, satisfied that a situation has arisen in which the administration of the University cannot be carried out in accordance with the provisions of the Act, without detriment to the interests of the University and it is expedient in the interest of the University so to do, it may by notification, for reasons to be mentioned therein, direct that the provision of sub-section (2), (3), (4) and (5) shall, as from the date specified in the notification (hereinafter in this section referred to as the appointed date), apply to the University.

(2) The notification issued under sub-section (1) (hereinafter referred to as the notification) shall remain in operation for a period of one year from the appointed date and the State Government may, from time to time, extend the period by such further period as it may think fit so however that the total period of operation of the notification does not exceed three years.

(3) As from the appointed date the Vice-Chancellor, holding office immediately before the appointed date, shall notwithstanding that his term of office has not expired, vacate his office, and the Visitor shall simultaneously with the issue of the notification appoint the Vice-Chancellor, who shall hold office during the period of operation of the notification :

Provided that the Vice-Chancellor shall be appointed by the Visitor in consultation with the State Government and may be removed by the Visitor in the like manner :

Provided further that the Vice-Chancellor may, notwithstanding the expiration of the period of operation of the notification, continue to hold office thereafter until his successor enters upon office but this period shall not exceed one year.

(4) As from the appointed date, the following consequences shall ensue, namely :—

(i) Every person holding office as a member of the Executive Council or the Academic Council, as the case may be, immediately before the appointed date shall cease to hold that office;

(ii) Until the Executive Council or Academic Council, as the case may be, is reconstituted, the Vice-Chancellor appointed under sub-section (3) shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed by or under this Act, on the Executive Council or Academic Council :

Provided that the Visitor may, if he considers it necessary so to do, appoint a committee consisting of an educationist, an administrative expert and a financial expert to assist the Vice-Chancellor so appointed in exercise of such powers and performance of such duties.

(5) Before the expiration of the period of operation of the notification or immediately as early as practicable, thereafter, the Vice-Chancellor shall take steps to constitute the Executive Council and Academic Council in

accordance with the provisions of this Act, and the Executive Council and Academic Council as so constituted shall begin to function on the date immediately following the date of expiry of the period of operation of the notification or the date on which the respective bodies are so constituted whichever is later :

Provided that if the Executive Council and Academic Council are not constituted before the expiration of the period of operation of the notification, the Vice-Chancellor shall on such expiration, exercise the powers of each of these authorities subject to prior approval of the Visitor till the Executive Council or Academic Council, as the case may be, is so constituted.

57. **Indemnity.**—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against and no damages shall be claimed from the University, the Vice-Chancellor, the authorities or officers of the University or any other person in respect of anything which is in good faith done or purported to have been done in pursuance of this Act or any statutes, ordinances and regulations made thereunder.

58. Act to have overriding effect.—The provisions of this Act and any statutes, ordinances and regulations made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

59. **Non-affiliating University.**—The University shall be a non-affiliating University.

60. **Power to give retrospective effect to Statutes, Ordinances and regulations.**—The power to make Statutes, Ordinances and regulations shall include the power to give retrospective effect from the date not earlier than the date of commencement of this Act, to the Statutes, Ordinances and regulations or any of them but no retrospective effect shall be given to any Statute, Ordinance and Regulation so as to prejudicially affect the interest of any person to whom such Statute, Ordinance and regulation are applicable.

61. **Repeal and Savings.**—(1) Sanchi University of Buddhist and Indic Studies Ordinance, 2012 (No. 5 of 2012) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance anything done or any action taken under the provisions of the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.